



जन्म -मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण के परिपत्रों का संकलन

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
सांख्यिकी विभाग राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	नष्ट, अथवा खराब हुए रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड को पुनः तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश।	1
2	चिकित्सालयों सी.एच.सी./पी.एच.सी. में सृजित स्थानीय जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) की अधिकारिता बाबत।	4
3	दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि/परिवर्तन करने विषयक स्पष्टीकरण।	5
4	जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम, पता आदि के संशोधन बाबत।	7
5	ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से जन्म/मृत्यु पंजीयन हेतु आवेदन करना।	8
6	जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की आवश्यकता के सम्बन्ध में	11
7	राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं विवाह पंजीयन अधिनियम, 1958 के निरसन के सम्बन्ध में।	13
8	चिकित्सा संस्थानों में विलम्बित घटनाओं के पंजीयन हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	14
9	जन्म प्रमाण पत्र में उर्फ हटाने के संबंध में।	15
10	अनाथ/परित्यक्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी करना।	16
11	Clarification on mentioning the place of birth in birth certificate in respect of adopted child through Institutions.	18
12	Repeal of Rules.	19
13	चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में कार्यरत उप रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण कार्य के कर्तव्यों बाबत।	20
14	जन्म/मृत्यु एवं विवाह पंजीयन एवं राजकीय योजनाओं की सेवाओं की भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदायगी के लिए आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के क्रम में।	22
15	जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में E-Sign/डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के संबंध में।	24
16	माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णयानुसार एकल अभिभावक/अविवाहित माता की स्थिति में जन्म रजिस्ट्रेशन बाबत।	25
17	विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के अन्तर्गत देय फीस के संबंध में।	26
18	जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र में ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के संबंध में।	27
19	गतिमान यान में मृत्यु होने पर रजिस्ट्रीकरण के संबंध में।	28

क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
20	मिथ्या/गलत तथ्यों पर आधारित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	29
21	जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।	30
22	आमजन को जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र के लिए निदेशालय भिजवाने के संबंध में।	32
23	वेबपोर्टल पहचान के माध्यम से बच्चे का नाम जोड़ने की प्रक्रिया	33
24	मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक की एक से अधिक पत्नी होने पर नाम दर्ज करने के संबंध में।	35
25	राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत जन्म-मृत्यु एवं विवाह के सम्बन्ध में सामान्य कानूनी नियम।	36
26	हस्तलिखित जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र के लिए वेबपोर्टल पहचान पर ऑनलाईन आवेदन कर ई-साईन युक्त कम्प्यूटराईज्ड प्रमाण पत्र जारी करना	42
27	मृत जन्म के पंजीयन में 21 दिवस की अवधि में शिथिलता बाबत।	44
28	Clarification regarding correction of parent's name in the birth certificate of a adopted child who was born outside India.	45
29	विदेश में जन्म लेने वाले दत्तक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता के नाम में सुधार के संबंध में स्पष्टीकरण।	46
30	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत शास्तियाँ।	48
31	जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनआधार की अनिवार्यता के संबंध में।	50
32	मृतक के परिजन को मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (MCCD) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	51
33	जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनाधार की अनिवार्यता से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में।	53
34	निजी चिकित्सालय के ऑनलाईन लॉगिन आई. डी. पासवर्ड की प्रक्रिया के संबंध में।	55
35	ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को अनुमान्य किया जाने बाबत।	56
36	Clarification on making / changing entries in birth record of children taken on adoption.	57
37	पहचान पोर्टल में जन्म/मृत्यु की घटना दिनांक में संशोधन के लिए प्रुफ़ (Proof) अपलोड करने बाबत।	59
38	जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों के लिए निर्देश।	61

क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
39	जन्म/मृत्यु की एक वर्ष से अधिक विलम्बित घटनाओं के जस्ट्रीकरण के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के संबंध में।	64
40	आधार कार्ड में अंकित जन्म दिनांक में परिवर्तन/संशोधन के संबंध में।	66
41	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025 के सम्बन्ध में।	68
42	सरकारी अस्पतालों एवं प्राइवेट अस्पतालों (सूचक के रूप में) सहित सभी पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जन्म एवं मृत्यु की समस्त घटनाओं की ससमय रिपोर्टिंग के संबंध में।	70
43	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) एक वर्ष से अधिक विलंबित पंजीकरण के लिए आदेश जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के संबंध में।	72
44	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) 30 दिवस से एक वर्ष तक विलंबित पंजीकरण के लिए अनुज्ञा जारी करने के संबंध में।	73
45	विवाह के अनिवार्य पंजीयन के संबंध में विभिन्न प्रकरण विन्दुओं पर चाहे गये मार्गदर्शन	75
46	ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से विवाह पंजीयन हेतु आवेदन करना।	79
47	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।	82
48	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत फर्जी हस्ताक्षरों से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के संबंध में मार्गदर्शन चाहने बाबत।	83
49	विवाह पंजीयन में विवाह दिनांक परिवर्तन करने के संबंध में।	84
50	विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में।	85
51	वधु के निवास स्थल पर विवाह पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।	86
52	विवाह पंजीयन में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र की अनिवार्यता के संबंध में।	87
53	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन का कार्य सम्पादित	88
54	सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने वाले विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में।	89
55	विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र में पिता व माता का नाम गोदनामें के आधार पर संशोधन करने के क्रम में।	91
56	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।	92
57	वर-वधू की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वाट्स ऐप कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के सम्बन्ध में।	93

क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
58	विवाह पंजीयन का रिकार्ड सामान्यतः व्यवस्थित रूप से संधारित बाबत् ।	94



फा.सं. 1 / 2 / 2008—जीवनांक (सि.र.प्र.)

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry Of Home Affairs

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

Office of The Registrar General, India

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

दूरभाष—फैक्स: 26104012 Tele.-Fax: 26104012

drg.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 12.09.2012

परिपत्र

विषय: — नष्ट, अथवा खराब हुए रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड को पुनः तैयार करने के लिए दिशा—निर्देश।

1. आपको विदित है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30(2)(ट) के तहत बनाए गए नियम 17(4) में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रारों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्यालय में रखेगा और उस अवधि के पश्चात इन रजिस्ट्रारों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए नामोद्दिष्ट नियत प्राधिकारी को सौंप देगा। इस संबंध में यह पाया गया है कि रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड के बारम्बार उपयोग और इधर से उधर ले जाने के कारण पुराने रिकार्ड जीर्ण—शीर्ण हो गये हैं और कुछ समय पश्चात उपयोग में नहीं लाए जा सकेंगे। अतः कुछ राज्यों ने रिकार्ड को पुनः तैयार करने का मामला उठाया है। इस कार्यालय ने नष्ट अथवा खराब हुए रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड को पुनः तैयार करने के लिए नए दिशा—निर्देश तैयार किए हैं। ये दिशा—निर्देश इस कार्यालय के दिनांक 09 मार्च, 1998 के परिपत्र सं. 1 / 3 / 95 जीवनांक (समन्वय) के अनुक्रम में जारी किए जा रहे हैं।

2. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि संबंधित वर्ष के रजिस्ट्रारों को सुरक्षित रखने के लिए नामोद्दिष्ट प्राधिकारी को सौंपने से पहले रजिस्ट्रार को सचेत रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि जन्म और मृत्यु के लिए दर्ज सभी मामलों में प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं ताकि, सुरक्षित अभिरक्षा से किसी रजिस्ट्रार को वापस मांगने की आवृत्ति का न्यूनतम बनाया जा सकें।

3. रिकार्ड को पुनः तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए:-

1. यदि किसी कारण से जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड गुम/क्षतिग्रस्त/नष्ट हो जाते हैं तो संबंधित रजिस्ट्रीकरण यूनिट (ग्रामीण क्षेत्र) का रजिस्ट्रार बलॉक स्तर के अधिकारी अथवा अन्य निर्धारित प्राधिकारी के माध्यम से गुम/क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए रिकार्ड को पुनः तैयार करने के लिए आवश्यक अधिसूचना कारण बताते हुए जारी करने हेतु जिला रजिस्ट्रार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। नगरीय क्षेत्रों के मामलों में रजिस्ट्रार नगरपालिका और नगर निगम द्वारा जिला रजिस्ट्रार और मुख्य रजिस्ट्रार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड को पुनः तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा जांच के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। संबंधित रजिस्ट्रार अधिसूचना जारी होने के बाद ही रिकार्ड को पुनः तैयार करने की कार्यवाही शुरू करेगा। रिकार्ड को पुनः तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(क) संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य के आधार पर रजिस्टर को पुनः तैयार किया जाएगा।

(ख) संबंधित रजिस्ट्रीकरण यूनिट के क्षेत्र में आम सूचना जारी करके रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) व्यक्तियों से जन्म/मृत्यु के मामलों के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण अर्थात् जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजने का अनुरोध करेगा। व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए इस प्रमाण को रजिस्ट्रार द्वारा स्थाई रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

(ग) संबंधित व्यक्ति के पास जन्म और मृत्यु का दस्तावेजों साक्ष्य न होने के मामलों में किसी सरकारी कार्यालय, स्कूल रिकार्ड आदि में जन्म अथवा मृत्यु की तारीख की प्रविष्टि जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर की गई है। रिकार्ड को पुनः तैयार करने के प्रयोजन से इस रिकार्ड पर विचार किया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त उल्लेखित प्रक्रिया के पश्चात यदि जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र की मांग की जाती है और जन्म/मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाणिक प्रमाण पत्र नहीं पाया जाता है तो यहा मान लिया जाएगा कि संबंधित वर्ष की संगत रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड में जन्म अथवा मृत्यु दर्ज नहीं की गई थी ऐसे मामलों में रजिस्ट्रार संबंधित व्यक्ति को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17(1) के तहत बनाए गए राज्य नियमों के नियम 13(3) के प्रावधानों के अनुसार अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी करेगा। संबंधित व्यक्ति को धारा 13 में किए गए विलंबित रजिस्ट्रीकरण के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी और उसे निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए कहा जाएगा।

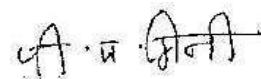
- (2) रिकार्ड को चोरी अथवा क्षति से बचाने के लिए सभी रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु द्वारा जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड को संरक्षित अभिरक्षा में किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। रजिस्ट्रार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रजिस्ट्रीकरण

रिकार्ड अर्थात् जन्म एवं मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रारों की उसकी उपस्थिति में ही जांच की जाए।

- (3) किसी विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण यूनिट के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा की चेतावनी अथवा रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में आग लगने की घटना या दुर्घटना होने की स्थिति में रजिस्ट्रार, रिकार्ड को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु सभी संभव कदम उठाएगा और घटना की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को तत्काल भेजेगा। संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से मुख्य रजिस्ट्रार को सूचित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- (4) जब जन्म और मृत्यु के रजिस्टर के पृष्ठ फटने शुरू हो जाएं तो संबंधित रजिस्ट्रार तत्काल ही पृष्ठों को पुनः तैयार करवाने/मूल रूप में लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
- (5) रिकार्ड को पुनः तैयार करवाने से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि भी संबंधित रजिस्टर के टिप्पणी कालम में की जानी चाहिए, जिसमें रिकार्ड के पुनः तैयार करवाने की तारीख दर्शाई जानी चाहिए।
- (6) अनुवर्ती सुधार की संभावना को कम करने के लिए यह सुझाव भी दिया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति के पास दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न होने और कार्यालय रिकार्ड अथवा स्कूल रिकार्ड के आधार पर प्रविष्टि किए जाने के मामले में विवरण की प्रविष्टि करने से पहले संबंधित व्यक्ति से एक वचन-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि संबंधित विवरण सही और अंतिम है।
- (7) राज्य/जिले के सक्षम प्राधिकारी अथवा ब्लॉक स्तर अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रीकरण यूनिट के दौरे/निरीक्षण के दौरान उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जन्म और मृत्यु रिकार्ड समुचित ढंग से और सुरक्षित ढंग से रखे गए हैं। यदि यह पाया जाता है कि रिकार्ड सुरक्षित और उचित तरीके से नहीं रखे गए हैं तो निरीक्षण करने वाले अधिकारी, रजिस्ट्रार को उचित उपाय करने के लिए निर्देश देंगे। उनकी रिपोर्ट में इन मुद्दों को उजागर किया जाना चाहिए और इस बारे में मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

ये दिशानिर्देश आपको इस अनुरोध के साथ भेजे जा रहे हैं कि इनमें यथोचित कार्यवाही के लिए संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को परिचालित किया जाए ताकि लोगों को जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण-पत्र देने से वंचित न किया जाए। इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

भवदीया



(पी.ए.मिनी)

उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/डब्लू.पी./वीएस/डीईएस/2013/7642-75

दिनांक: 03.03.2015

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं,
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
जिला.....

विषय:- चिकित्सालयों सी.एच.सी./पी.एच.सी. में सृजित स्थानीय जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) की अधिकारिता बाबत।

सन्दर्भ:- निदेशालय का पत्रांक 11740-72 दिनांक 12.03.2013 एवं पत्रांक 44310-42 दिनांक 27.11.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा जिन चिकित्सालयों, सी.एच.सी./पी.एच.सी. में सृजित स्थानीय जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु नियुक्त उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को निर्देशित किया गया था कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7(2) एवं धारा 23(2) के अन्तर्गत जिस चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में रजिस्ट्रेशन सेन्टर खोला गया है, वहाँ केवल उस संस्थान परिसर क्षेत्र में घटित जन्म/मृत्यु/मृत जन्म की घटनाओं का ही रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा। इन रजिस्ट्रेशन केन्द्रों में केवल अविलम्बित अवधि (21 दिवस) में ही घटनाओं का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। 21 दिवस पश्चात् स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिले के समस्त अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं विकास अधिकारी/रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय,



अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर



सं.1 / 7 / 2011-वीएस -

(सीआरएस) / 619

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry Of Home Affairs

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

Office of The Registrar General, India

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

टेली- फैक्स:26104012 Tele.-Fax:26104012

drg.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 15.05.2015

सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु।

विषय: दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि/परिवर्तन करने विषयक स्पष्टीकरण।

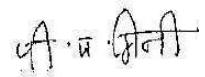
महोदय,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 12 मार्च, 2012 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें जिसके द्वारा दत्तक किये गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने से संबंधित कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। बाद में, 2011 के केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संचालन प्राधिकरण (कारा)(CARA) के दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए, इस कार्यालय ने दिनांक 25 अगस्त, 2014 के समसंख्यक पत्र द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसके द्वारा गोद लिए गये बच्चों के जन्म के पंजीकरण और उन्हें जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दत्तक-ग्रहण विलेख और दत्तक-ग्रहण आदेश (दोनों) का प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था।

- 2- उपर्युक्त स्पष्टीकरण की प्रतिक्रिया में, गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण के संबंध में दत्तक-ग्रहण आदेश और दत्तक-ग्रहण विलेख प्रस्तुत करने के संबंध में कुछ प्रश्न/शंकाएं इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी। इस संबंध में, यह अद्वितीय किया जाना है कि गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण "हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण (एचएएमए) (HAMA) अधिनियम, 1956" के प्रावधान के अंतर्गत किये जाते हैं और इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत: केवल दत्तक-ग्रहण विलेख अर्थात् किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत और दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है। इस संबंध में, दत्तक-ग्रहण विलेख की प्रामाणिकता की जांच केवल एचएएमए अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के आधार पर ही करनी पड़ेगी।

- 3- संबंधियों/परिचितों में दत्तक लेने के मामले में सामान्य जनता द्वारा दत्तक—ग्रहण आदेश प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस मामले की समीक्षा की गई तथा कहिला और बाल विकास मंत्रालय के केन्द्रीय दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के साथ विचार—विमर्श भी किया गया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि देश के अन्दर संबंधियों अथवा परिचितों में से गैर—संस्थागत दत्तक—ग्रहण के लिए पंजीकृत दत्तक—ग्रहण (Adoption deed) विलेख प्रर्याप्त हैं। ऐसे मामलों के लिए किसी न्यायालय के दत्तक—ग्रहण आदेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. फिर भी, जन्म रिकार्ड में शुद्धियां करने अथवा पंजीकृत करने से पहले, दत्तक—ग्रहण विलेख की सत्यता जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए और यदि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उप रजिस्ट्रार के समक्ष विधिवत पंजीकृत दत्तक—ग्रहण विलेख वैध पाया जाता है तो संबंधित रजिस्ट्रार को दत्तक—ग्रहण विलेख में दी गई सूचना के आधार पर जन्म रिकार्ड में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए और दत्तक माता—पिता और बच्चों का नाम दर्ज करके दत्तक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। इससे आगे, यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैर—संस्थागत घटना के मामले में यदि दत्तक बच्चों की आयु एक वर्ष से अधिक है और उसका जन्म पहले से पंजीकृत नहीं पाया गया है तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलंबित पंजीकरण प्रावधान के अंतर्गत स्थानीय मजिस्ट्रेट का आदेश भी उक्त घटना के पंजीकरण से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए।
5. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और दत्तक बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सामान्य जनता के सामने आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त विषयवस्तु का संबंधित अधिकारियों को भेजें और उन्हें निर्देश दें कि दत्तक बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी करें और सुनिश्चित करें कि दत्तक माता—पिता द्वारा संबंधित रजिस्ट्रार को दस्तावेज के प्रस्तुत करने की तारीख से 7 से 10 दिनों के अन्दर वांछित जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए। इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाएं।

भवदीया



(पी.ए.मिनी)

उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

**राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर**

क्रमांक:— एफ13/1/3/डी-1/वीएस/डीईएस/2015/I/33994/2015

दिनांक: 25.06.2015

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर

विषय:— जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम, पता आदि के संशोधन बाबत।

सन्दर्भ:— अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट जयपुर का पत्रांक 670 दिनांक 02.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधीक्षक, महिला चिकित्सालय ने सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि चिकित्सालय में होने वाली जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड का संधारण चिकित्सालय के मेडिकल रिकार्ड विभाग द्वारा किया जाता है एवं चिकित्सालय में घटित जन्म एवं मृत्यु की घटना के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा जारी किये जाते हैं। उक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र चिकित्सालय के स्थाई रजिस्टर में तत्समय ड्यूटी डाक्टरों द्वारा की गई प्रविष्टि के आधार पर जारी किये जाते हैं परन्तु आमजन को जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम, पते, तिथि आदि के संशोधन के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा चिकित्सालय के मूल रिकार्ड में संशोधन बाबत भिजवाया जाता है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

आमजन की सुविधा का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम जयपुर द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में ऐसे संशोधन यथा आवेदक एवं माता/पिता के मध्यनाम, सरनेम, पते आदि के लिए आमजन को चिकित्सा संस्थाओं में नहीं भिजवाया जावे। रजिस्ट्रार द्वारा चिकित्सा संस्थान से जन्म/मृत्यु तिथि की पुष्टि करायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनिय है कि रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के लिए कोई भी परिवर्तन/संशोधन करने से पूर्व यह भी आवश्यक है कि वह सभी तथ्यों/दस्तावेजों की जांच करें तथा अपनी संतुष्टि उपरान्त कार्यवाही करें।

अतः उपरोक्त व्यवस्था बाबत अविलम्ब आदेश जारी कराने का श्रम करावें, ताकि आमजन को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

भवदीय,


(भवन् लाल बैरवा)

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/I/36603/2015

दिनांक:- 11.08.2015

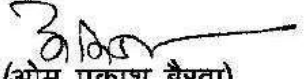
परिपत्र

शासन सचिव, आयोजना के आदेश क्रमांक 22519 दिनांक 02.06.2015 के अनुसार जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने तथा पंजीकरण पश्चात जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कार्य ई-मित्र सेवा केन्द्रों के माध्यम से जयपुर शहरी क्षेत्र में 15.08.2015 से प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी क्रम में द्वितीय चरण में दिनांक 01.09.2015 से उक्त सेवा को सम्पूर्ण जयपुर जिले के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार की अधिकारिता अन्तर्गत घटित जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं सम्बन्धी पंजीयन कार्य हेतु जयपुर जिले में कार्यरत ई-मित्र केन्द्रों को अधिकृत किया जाता है। ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:-

1. ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रपत्र में चाही गई सम्पूर्ण सूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरनी होंगी।
3. आवेदक को अपनी पहचान एवं पते सम्बन्धी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। पहचान एवं पते के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है:- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, कार्यालय पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेज, जिसमें फोटो/पते की पहचान हो सके।
4. आवेदक द्वारा जन्म/मृत्यु की घटना घटित होने सम्बन्धी प्रमाण /दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। जन्म की घटना के सम्बन्ध में डिस्चार्ज टिकट या एएनएम/दाई/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच/वार्डपंच/वार्डपार्षद द्वारा जारी प्रमाण इत्यादि। मृत्यु की घटना के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एफआईआर या चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच/वार्डपंच/वार्डपार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि।
5. आवेदक को विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के प्रकरणों में 30 दिन से एक वर्ष विलम्बित अवधि के लिए नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र पर जिला रजिस्ट्रार/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार की अनुज्ञा एवं 1 वर्ष से अधिक की विलम्बित अवधि के लिए नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा लेकर प्रस्तुत करनी होगी।
6. ई-मित्र के माध्यम से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने पर आवेदक को निम्नानुसार शुल्क ई-मित्र केन्द्र पर जमा कराकर टोकन प्राप्त करना होगा:-
 - आवेदन प्रपत्र के साथ सलग्न पहचान/पते के दस्तावेज का राजकीय डाटाबेस के सत्यापन किये जाने की स्थिति में 10/- रुपये।
 - आवेदन प्रपत्र के साथ सलग्न पहचान/पते के दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 20/-रुपये।
 - 30 दिन पश्चात की विलम्बित घटना के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र को स्कैन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 30/- रुपये।
 - पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी पर प्रमाण पत्र प्रिन्ट हेतु 10/- रुपये।

7. ई-मित्र संचालन द्वारा टोकन जारी करने के पश्चात किसी कारणवश यदि टोकन का उपयोग नहीं किया गया है, तो आवेदक द्वारा उक्त टोकन को निरस्त कराया जा सकेगा।
8. ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक से प्राप्त प्रपत्र की सम्पूर्ण सूचनाओं की प्रविष्टि पहचान वेबपोर्टल पर की जाकर संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों को स्कैन कर अपलोड करते हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित रजिस्ट्रार को उसी दिन अग्रेषित किया जावेगा।
9. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार एक बार जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन का प्रावधान नहीं है, इसके लिए यह आवश्यक है कि आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र को कम्प्यूटर स्क्रीन पर पढ़वाया जावे या प्रिन्ट लेकर हस्ताक्षर करावे, ताकि प्रमाण पत्र में किसी तरह की त्रुटि नही रहे।
10. जन्म और मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण हेतु (21 दिवस पश्चात) नियमानुसार विलम्ब शुल्क 1/- रुपये देय होगा। ई-मित्र संचालक द्वारा विलम्ब शुल्क से प्राप्त राशि प्रतिमाह राजकोष में निम्न बजट शीर्षक में चालान द्वारा जमा करायी जावेगी:-
बजट शीर्षक:-
1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें
012- सांख्यिकी
(001) आर्थिक और सांख्यिकी
11. सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के अपने लॉगिन से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं दस्तवेजों की जांच पश्चात अधिकतम 3 दिवस में डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा।
12. प्राप्त आवेदन में किसी तरह की आपत्ति होने पर सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा ई-मित्र संचालक को अधिकतम 3 दिवस में सूचित किया जावेगा, साथ ही इसकी सूचना (SMS) द्वारा आवेदक को भी भेजी जावेगी। दी जावेगी।
13. घटना के पंजीकरण की सूचना आवेदक द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर (SMS) द्वारा दी जावेगी। इसके अतिरिक्त 'पहचान' पोर्टल पर रेफरेंस नं. एवं टोकन नं. प्रविष्ट करके भी पंजीकरण की स्थिति देखी जा सकेगी।
14. सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा जारी, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आवेदक को पूर्व मुद्रित स्टेशनरी में ई-मित्र संचालक द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
15. ई-मित्र संचालक द्वारा प्राप्त समस्त मूल आवेदन प्रपत्रों को नगर निगम में प्रतिमाह पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से की जावे।


 (ओम प्रकाश बैस्वा)
 मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
 निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/I/36603/2015 दिनांक: 11.08.2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना, प्राद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. सिस्टम एनॉलिस्ट एवं संयुक्त निदेशक, सूचना, प्राद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
8. जिला रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
9. समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता (ई-मित्र) जयपुर जिला, जरिए तकनीकी निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड, राजस्थान जयपुर।


अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

**राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर**

क्रमांक: एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2013/I/42060/2015

दिनांक: 03.12.2015

परिपत्र

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत प्रतिस्थापित किये गये राज्य नियम, 2000 के तहत किया जाता है। भारत सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सर्वव्यापी बनाने हेतु 'विजन 2020' निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2020 तक जन्म के पंजीकरण स्तर को शत प्रतिशत करना, सभी पंजीकरण हुए जन्म हेतु विधिक जन्म प्रमाण पत्र जारी करना तथा सभी संस्थागत मृत्यु को पंजीकृत करना रखा गया है।

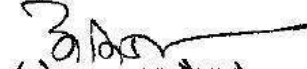
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के 46 वर्षों के पश्चात् भी भारत आज इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में क्रमशः 16 और 30 प्रतिशत मामलों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। आदर्श रूप से देखा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के जीवन का पहला आधिकारिक दस्तावेज होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का जीवन समाप्त होने का प्रमाण पत्र होता है। जन्म और मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेज होती हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा, 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु, जैसा भी मामला हो, के सन्दर्भ में निष्कर्षी (अन्तिम) साक्ष्य होती हैं। इन प्रविष्टियों के आधार पर आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 12 और 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु सम्बन्धी उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं तथा ये उस प्रविष्टि से सम्बन्धित व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु को प्रमाणित करने के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र विधिक दस्तावेज होता है।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'विजन 2020' की घोषणा के अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के परिपत्र संख्या 1/12/2014-वीएस(सीआरएस) दिनांक 31.07.2015 के द्वारा अपेक्षा की गई है कि आपके कार्यालय द्वारा जनता को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ा जाना चाहिए जिससे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का राष्ट्रीय स्तर स्वतः ही सम्पूर्ण पंजीकरण की ओर बढ़ेगा।

अतः अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न सेवाओं/योजनाओं में जहां जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हो, उन मामलों में केवल जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र को ही प्रमाणित साक्ष्य स्वीकार करने के निर्देश प्रसारित किये जावें:-

1. मातृत्व लाभ योजनाएं और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)।
2. टीकाकरण कार्ड में जन्म का पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं को दर्शाने वाले कालम को शामिल करना।
3. स्कूल में प्रवेश।
4. राशन कार्ड /परिवार रजिस्टर में बच्चे का नाम शामिल करना।
5. सरकारी और गैर सरकारी सेवा में प्रविष्टि और सेवा पुस्तिका का रखरखाव।

6. मतदाता सूची/रोजगार कार्यालय में नाम शामिल करना।
7. पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना।
8. आधार /एनपीआर पंजीकरण।
9. विवाह पंजीयन और तलाक/संबंध विच्छेद प्रकरण में।
10. राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर से नाम हटाना।
11. उत्तराधिकार के मुद्दों के निपटाने के संबंध में।
12. बीमा दावों के निपटाने के संबंध में।
13. परिवारिक पेंशन के निपटाने के संबंध में।


(ओम प्रकाश बैस्वा)

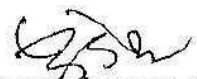
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2013/I/42060/2015

दिनांक: 03.12.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय-2, मानसिंह रोड, नई दिल्ली- 110001
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
3. आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मिशन निदेशक, एनआरएचएम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अति. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर, जिला
8. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, प्राथमिक /माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. अतिरिक्त आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोगता मामलात, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, रोजगार एवं नियोजन विभाग दरबार स्कूल गोपिनाथ मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक, विशेष योग्य जन, राजस्थान, जयपुर।
16. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम
18. समस्त क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी जिला
19. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला
20. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला.....
21. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला


उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
उप निदेशक (जीवनांक)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक एफ13/1/3/वीएस/बीईएस/2015/7/48843

दिनांक 12-04-2016

उप शासन सचिव
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं विवाह पंजीयन
अधिनियम, 1958 के निरसन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-अतिरिक्त मुख्य सचिव का यू.ओ. नोट क्रमांक एफ29 (20) एआरडी /
गुप-1/2014 दिनांक 21.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में लेख है कि राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम, 2015 'The Rajasthan Laws Repeal Act 2015' के द्वारा विभाग के राजस्थान जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1958 को निरसित (Repeal) किया गया है, तत्समय राजस्थान जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत नियम विद्यमान नहीं थे। अतः नियम के निरसित (Repeal) कराये जाने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

भवदीय,


(डॉ० ओम प्रकाश बैरवा)

महा रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

**राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर**

क्रमांक:— एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2013/I/51238/2016

दिनांक: 27.05.2016

**जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त**

विषय:— चिकित्सा संस्थानों में विलम्बित घटनाओं के पंजीयन हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के मार्गदर्शन अनुसार “संस्थागत घटनाओं के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह घटनाएँ संस्था से नियमानुसार विलम्ब शुल्क लेने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा भी पंजीकृत की जा सकती है।”

अतः चिकित्सा संस्थान के अलावा विलम्बित श्रेणी के अन्तर्गत जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 एवं राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


**उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
उप निदेशक (जीवनांक)**

क्रमांक:— एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2013/I/51238/2016

दिनांक: 27.05.2016

प्रतिलिपि:— श्री अमित अग्रवाल, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, राजस्थान को प्रेषित कर अनुरोध है कि वेबपोर्टल ‘पहचान’ के अन्तर्गत भी संस्थानों में एक वर्ष से अधिक विलम्बित घटनाओं के पंजीयन हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुज्ञा का ऑप्शन हटवाने का श्रम करावें।


उप निदेशक (जीवनांक)



सं1 / 37 / 2016—जीवनांक(सीआरएस)—406

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry Of Home Affairs

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

Office of The Registrar General, India

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

टेली.नं.—फैक्स:26104012 Tele.-Fax:26104012

दिनांक: 15.09.2016

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)
तथा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
राजस्थान, योजना भवन,
नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर- 302005

विषय: जन्म प्रमाण पत्र में उर्फ हटाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ-13/1/(3)/21/वीएस/डीईएस/2012/73390/1/6738 दिनांक 09.09.2016 का संदर्भ ले। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड में रजिस्ट्रेशन के समय अथवा रजिस्ट्रेशन के बाद उर्फ लगाने की अनुमति केन्द्रीय विधि मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर दी गई थी। परन्तु एक बार उर्फ लगाने के बाद उसे पुनः हटाने के संबंध में विधि मंत्रालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। फिर भी इस तरह के मामलों में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि किसी घटना के रजिस्ट्रेशन के बाद यदि उसमें उर्फ लगाया गया है तो उर्फ लगाने के बाद का जो नाम लिखा गया है उसे तो हटाया जा सकता है परन्तु मूल नाम को नहीं हटाया जा सकता।

2. आप द्वारा भेजे गए संदर्भित मामले में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जन्म रिकार्ड में माता का मूल नाम लखविन्दर कौर है अथवा परमजीत कौर" साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय यदि उर्फ लगाकर नाम लिखा गया है तो मूल नाम का निर्धारण और भी मुश्किल हो जाता है। इसका निर्णय तो संबंधित रजिस्ट्रार ही साक्ष्यों की जांच करके अपने विवेक से कर सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसका स्पष्टीकरण भेजें कि मूल नाम कौन सा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि किस आधार पर मूल नाम का निर्धारण किया गया है। इस स्पष्टीकरण के बाद ही कोई उचित निर्णय लिया जा सकता है।

भवदीय

(रोहित भारद्वाज)

उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।
“Ensure Registration of Every Birth and Death”



सं.7 / 4 / 2013-वीएस-(सीआरएस)

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry Of Home Affairs

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

Office of The Registrar General, India

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

टेली.नं.-फैक्स:23383762 / 26104012 E-mail-drg-crs,rgi@nic.in

दिनांक: 15.09.2016

परिपत्र

विषय:- अनाथ/परित्यक्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी करना।

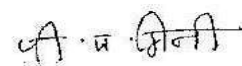
अनाथ बच्चों के जन्म के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है। ये दिशा निर्देश जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 8 के अन्तर्गत अनाथालय अथवा इस प्रकार के संस्थान के बच्चों के मामले में संबंधित संस्थान के प्रभारी अथवा केयरटेकर और ऐसे संस्थान से बाहर के बच्चों के मामले में अभिभावक, संबंधित रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु को जन्म की घटना की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में, हो सकता है कि जन्म संबंधी विवरणों यथा जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता-पिता के नाम के बारे में जानकारी हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है।

- (क) अनाथ बच्चे के जन्म स्थान के बारे में जानकारी न होने पर, स्थान जहाँ अनाथालय स्थित है अथवा जहाँ बच्चा रह रहा है, उस स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाए।
- (ख) बच्चे की जन्म तिथि के बारे में जानकारी न होने पर वह क्षेत्र जहाँ अनाथालय स्थित है अथवा जहाँ बच्चा रह रहा है उस क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा निर्धारित आयु और एक सम्भावित जन्म तिथि दे दी जाती है। सीएमओ द्वारा दी गई जन्म तिथि को जन्म रिपोर्टिंग फार्म से जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जा सकता है।
- (ग) माता-पिता के नाम की जानकारी संस्थान के प्रभारी/अभिभावक को मालूम होने की स्थिति में उसे ही जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दर्ज करें। माता-पिता के नाम की जानकारी न होने के मामले में, माता-पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग फार्म में खाली रखा जाएगा।

पहले से पंजीकृत नहीं करवाया गया था, तो अनाथालय को उपयुक्त के अनुसार बच्चे के जन्म पंजीकरण के लिए विवरण, रिपोर्ट करने चाहिए।

- (ड) यदि बच्चे के नाम की जानकारी है तो उसे जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दिया जाना चाहिए। यदि उसकी जानकारी न हो तो अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक को बच्चे की एक नाम देना होगा और उसी को जन्म रिपोर्टिंग फार्म में दर्ज कराएं।
 - (च) विलंबित पंजीकरण के मामले में धारा 13(1), (2) और (3) में दी गई प्रक्रिया अपनाई जाए।
 - (छ) अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक का यह कर्तव्य होगा, कि उनकी देखभाल के अन्तर्गत रहने वाले बच्चों का जन्म यथाशीघ्र पंजीकृत कराएं।
 - (ज) संबंधित रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में अनाथालय स्थित है अथवा जहां अनाथ रह रहा है, उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में उपलब्ध विवरणों के आधार पर जन्म का पंजीकृत करेगा।
 - (झ) पंजीकरण के पश्चात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और जन्म प्रमाण पत्र में अनाथ बच्चा शब्द नहीं लिखा जाएगा
दत्तक ग्रहण: दत्तक ग्रहण के मामलों में इस कार्यालय के दिनांक 12 मार्च, 2012 के परिपत्र संख्या 1/7/2011—वीएस—सीआरएस में दर्शाई गई निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए।
3. आपसे अनुरोध है कि सभी पंजीकरण पदाधिकारियों को सख्ती से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश है। संबंधित अधिकारियों के जारी निर्देशों की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए।
 4. यह भारत के महारजिस्ट्रार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(पी.ए.मिनि)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु।



सं.1 / 37 / 2016-जीवनांक(सीआरएस)-406

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry Of Home Affairs

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

Office of The Registrar General, India

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

टेली.नं.-फैक्स:26104012 Tele.-Fax:26104012

Email-drg.crs.raj@censusindia.gov.in

Date: 15.09.2016

To,

The Chief Registrar of Birth and Death of
All States and UTS

Sub:- Clarification on mentioning the place of birth in birth certificate in respect of adopted child through Institutions.

Sir,

This has come to the notice of this office that birth certificate issued for the children taken on adoption through institutions, contains the name of institution as the place of birth of the child in the birth certificate in majority of the cases. This is against the spirit of the confidentiality to be maintained for adoption records. By showing the name of adoption agency as the place of birth of the child, it becomes clear that birth certificate is of an adopted child.

In this connection, your attention is also invited to this office letter of even number dated 12th March, 2012 wherein it is clearly mentioned at Para 1 (i) that the "the place where the adoption agency is located " shall be treated as the place of birth of the child. It does not mean that name of adoption agency to be written as place of birth. Further, it is also clarified at Para 3 (a) of that letter, the term adoptive parent or adopted child should not be reflected in the birth certificate. It means that adoptive parents name shall be written against the name of father and mother of the child birth certificate i.e. as the biological parents.

Taken into consideration the above points, it is clarified that in case of adoption through institutions where the place of birth of the child is not known, the adoption agency's name should not be mentioned as the place of birth of the said child. In such cases, the "Name of City/ 3 place where the agency situated said the births will be registered by the Registrar of that area where the adoption agency is situated. The said A birth will be registered on the basis of adoption order and adoption deed and on the basis of particulars filled in form No.

In this connection, you are requested to circulate the above instructions to all registration functionaries in the State so that proper birth certificate of adopted child would be issued without any confusion.

Yours faithfully

V(P.A. Mini)

Deputy Registrar General (CRS)

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

“Ensure Registration of Every Birth and Death”

Government of Rajasthan
Administrative Reforms (Gr.-1) Department

Subject : Repeal of Rules.

The Rajasthan Laws Repeal Act, 2015 had been duly enacted by the State Assembly by dint of that following Act of your department given below had been repealed. As a consequence, the concerned ruled automatically stand repealed. However, it will be appropriate to issue a common order approved by the competent authority to repeal these rules which have become redundant.

1. The Rajasthan Registration of Births, Deaths and Marriages Act, 1958

You are also requested to upload the above information on the departmental Website for public domain.

All communication in this regard may please be mailed at the following e-mail address:-

emv@rajasthan.gov.in


(Rakesh Verma)
Addl. Chief Secretary

Secretary

Plan

U.O. Note: F 29(20)ARD/GR-1/2014

Jaipur, Dated:- 21-09-2016



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:— एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/1/68652

दिनांक: 09.05.2017

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
उप निदेशक/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला, समस्त

विषय:—चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में कार्यरत उप रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु
के रजिस्ट्रीकरण कार्य के कर्तव्यों बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य में संचालित चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में आमजन की सुविधा हेतु जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य हेतु संस्थान के प्रभारी अधिकारी, जिसमें चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी भी सम्मिलित है, को उपरजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इन चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त उप रजिस्ट्रारों को निदेशालय के पत्रांक 11740-72 दिनांक 12.03.2013 एवं 44310-42 दिनांक 27.11.2013 के तथा समय-समय पर इनके कर्तव्यों के संबंध में जारी किये गये हैं जिसमें प्रमुख रूप से जिस चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में रजिस्ट्रेशन सेन्टर खोला गया है वहाँ केवल उस संस्थान परिसर क्षेत्र में घटित जन्म/मृत्यु/मृत जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाना तथा इन रजिस्ट्रेशन सेन्टर में केवल अविलम्बित अवधि (21 दिवस में) ही अनिवार्य रूप से घटनाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाना शामिल है।

परन्तु ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश जिलों में संचालित अस्पताल/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में कार्यरत उपरजिस्ट्रार द्वारा 21 दिवस पश्चात भी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं और प्रमाण पत्रों में संशोधन कार्य किया जा रहा है, जबकि उक्त कार्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिये। इससे स्पष्ट होता है कि उप रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 और राज्य नियम 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशों की भी अवहेलना है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में नियुक्त उपरजिस्ट्रारों को निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करें:—

1. जिस चिकित्सा संस्थान/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में रजिस्ट्रेशन सेन्टर खोला गया है वहाँ केवल उस संस्थान परिसर क्षेत्र में घटित जन्म/मृत्यु/मृत जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जावेगा।
2. इन रजिस्ट्रेशन सेन्टर में केवल अविलम्बित अवधि (21 दिवस) में अनिवार्य रूप से घटनाओं का रजिस्ट्रेशन किया जावेगा।

3. संस्थान में घटित घटना का रजिस्ट्रीकरण कार्य पूर्ण होते ही उपरजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रथम प्रति इतिलादाता को निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
4. सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकरण के बाद किये जाने वाले कार्य यथा बच्चे का नाम जोड़ना, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 और राज्य नियम, 2000 के नियम 11 के तहत प्रविष्टि को रद्द अथवा संशोधन करना जैसे कार्य सम्बन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जावेगा।
5. उपरजिस्ट्रार द्वारा जन्म/मृत्यु रिकार्ड मासिक रूप से रजिस्ट्रार कार्यालय को भिजवावें।

भवदीय,


(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:—एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/1/68652

दिनांक:09.05.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, जिला.....
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
3. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:—एफ -13/1/आ.प्रक./वीएस/डीईएस/2017/spl/10

दिनांक:—17/07/2017

परिपत्र

विषय:— जन्म/मृत्यु एवं विवाह पंजीयन एवं राजकीय योजनाओं की सेवाओं की भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदायगी के लिए आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के क्रम में।

आयोजना विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ17(1)/1/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 06.02.2017 अनुसार आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के क्रम में विभिन्न जनकल्याणकारी नगद व गैर नगद लाभ की 161 योजनाओं के भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये अधिसूचित किया गया है।

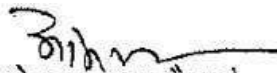
आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र एफ (1)/1/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 24.05.2017 के अनुसार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 57 के क्रम में आधार सत्यापन तंत्र के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करवाने हेतु चिन्हित सेवाओं में “जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन” को भी सम्मिलित किया गया है। अतः आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:—

1. भामाशाह प्लेटफार्म से वितरित की जा रही सेवाओं का प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को आधार सत्यापन तंत्र के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करवानी होगी।
2. यदि किसी लाभार्थी ने आधार पंजीयन नहीं करवाया है तो उसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित नजदीकी स्थाई आधार नामांकन केन्द्र पर जाकर आधार पंजीकरण करवाना होगा।
3. ऐसा लाभार्थी जिसके पास आधार संख्या अपलब्ध नहीं है तथा अभी आधार पंजीयन करवाया है परन्तु आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है तो उसके लिए विभागीय सेवा प्राप्त करने के लिए पहचान के निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज के साथ आधार पंजीयन रसीद प्रस्तुत करनी होगी:—

- पासपोर्ट
- किसान क्रेडिट कार्ड पासबुक
- राशकार्ड
- स्वतंत्रता सेनानी का फोटो कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाईसेन्स
- राज्य/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र
- नरेगा जॉबकार्ड

राज्य सरकार द्वारा विभागीय योजनाओं में सेवा प्रदायगी हेतु आधार अधिप्रमाणन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त दिशा-निर्देशों की पूर्ति हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र में बालक/बालिका के माता/पिता का आधार नम्बर लिया जावे एवं आवेदक का आधार नम्बर लिया जावे अथवा आधार अधिप्रमाणन कराया जावे।
2. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र में मृतक का आधार नम्बर (यदि उपलब्ध हो), मृतक के पति/पत्नी/माता (जैसा लागू हो) एवं आवेदक का आधार नम्बर लिया जावे अथवा आधार अधिप्रमाणन कराया जावे।
3. विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक तथा वर एवं वधू का आधार नम्बर लिया जावे अथवा आधार अधिप्रमाणन कराया जावे।


(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ -13/1/आ.प्रक./वीएस/डीईएस/2017/spl/10

दिनांक:-17/07/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ 17(1)/1/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 24.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को उनके पत्र क्रमांक एफ 17(1)/1/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 24.05.2017 क्रम में सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, जिला.....
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....
8. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....
9. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पंचायत समिति..... जिला.....
10. रक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/sp-I

दिनांक: 28.07.2017

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त

विषय:- जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में E-Sign/डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- निदेशालय का पत्रांक 56722 दिनांक 08.09.2016 एवं पत्रांक 61944 दिनांक 27.12.2016

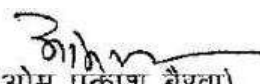
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमन्त्री महोदय की महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इण्डिया' योजना के तहत राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में E-Sign अथवा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के निर्देश सन्दर्भित पत्रों के द्वारा प्रसारित किए गये थे। इसके उपरान्त भी कुछ रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा E-Sign अथवा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अपितु मैनुअल हस्ताक्षर से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं जो कि राज्य सरकार के निर्देशों एवं I.T. Act 2000 के नियमों की अवहेलना है, साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 की धारा 7 के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों एवं दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना भी दर्शाता है। **प्रमुख शासन सचिव, आयोजना द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।**

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.07.2017 के पश्चात्, दिनांक 01.08.2017 की तिथि उपरान्त ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र ही वेब पोर्टल पहचान पर जारी किया जाना सम्भव होगा तथा मैनुअल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाना पूर्णतः निषेध होगा एवं वेबपोर्टल 'पहचान' पर मैनुअल हस्ताक्षर की सुविधा दिनांक 31.07.2017 के पश्चात् समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को राजकार्य में उक्त लापरवाही नहीं दोहराये जाने के संबंध में पाबन्द करे एवं निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के विरुद्ध जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा मैनुअल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में आप भी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,


(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:

क्रमांक:- एफ.13/1/3/ वेबपो /वीएस/डीईएस/2013/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, जिला.....
3. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम.....
4. श्री अमित अग्रवाल, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, जयपुर।
5. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (जन्म-मृत्यु), समस्त।

उप निदेशक (जीवनांक)



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

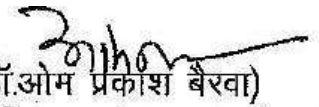
क्रमांक:— एफ13/1/3/म.स./वीएस/डीईएस/2017/I/73223/2017

दिनांक: 01.09.2017

आदेश

विषय:—माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णयानुसार एकल अभिभावक/अविवाहित माता की स्थिति में जन्म रजिस्ट्रेशन बाबत।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ABC Vs The State (NCT of Delhi), (2015) 10 SCC 1 के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2015 एवं ममता स्वामी विरुद्ध राज्य सरकार व अन्य (एक पीठ याचिका संख्या 5422/2016) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2016 के अनुसार एकल अभिभावक/अविवाहित माता द्वारा स्वयं के बालक/बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किये जाने पर बगैर कोई बाधा के रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम 2000 के प्रावधान के अन्तर्गत जन्म प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। अतः उक्त आदेश को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।

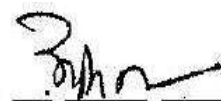

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:— एफ13/1/3/म.स./वीएस/डीईएस/2017/73223

दिनांक: 01.09.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्री जे.एम.सक्सैना, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. उप महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, जीवनांक प्रभाग, गृह मंत्रालय, आर. के.पुरम, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर जिला.....।
5. जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम जिला।
6. निदेशक (सी.आर.एस), जनगणना कार्य निदेशालय, झालाना डूंगरी, जयपुर।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला.....।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:— एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2017/76682

दिनांक: 21.11.2017

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म-मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

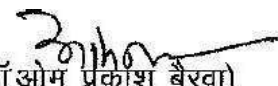
विषय:—विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के अन्तर्गत देय फीस के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 एवं राज्य नियम, 2000 के नियम 9 के अन्तर्गत विलम्बित देय फीस लिए जाने का प्रावधान है। परन्तु ज्ञात हुआ है कि रजिस्ट्रारों के द्वारा विलम्बित श्रेणी के अन्तर्गत प्रकरणों में निर्धारित शुल्क 1/- रुपये वसूल नहीं किये जा रहे हैं और न ही रसीद काटी जा रही है जो कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही उक्त कृत्य से राज्य आय की भी हानि है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त रजिस्ट्रारों को विलम्बित श्रेणी के अन्तर्गत प्रकरणों में देय फीस वसूल किये जाने के संबंध में पाबन्द करावें।

भवदीय,


(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



**राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
आयोजना विभाग, जयपुर**

क्रमांक:- एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/

दिनांक:

जिला कलक्टर

एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

जिला.....

विषय:- जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र में ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र में ई-साईन अथवा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने के निर्देश प्रसारित किए गये थे। परन्तु समीक्षा उपरान्त यह पाया गया है कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है तथा आपके जिले में कार्यरत कई रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा ई-साईन अथवा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अपितु मैनुअल हस्ताक्षर से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं जो कि राज्य सरकार के निर्देशों एवं I.T. Act 2000 के नियमों की अवहेलना है, साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 की धारा 7 के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों एवं दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना भी दर्शाता है।

यह उल्लेखनीय है की वेबपोर्टल 'पहचान' पर मैनुअल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा को दिनांक 31.12.2017 के पश्चात् पूर्णतया समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उचित होगा कि आमजन की सुविधा एवं प्रमाण पत्रों को वेबपोर्टल 'पहचान' से जारी किये जाने की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से यथावत रखने की दृष्टि से आपके जिले में कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को प्रमाण पत्रों को ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा ही जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में जिले के समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को राजकार्य में उक्त लापरवाही नहीं दोहराये जाने के संबंध में पाबन्द करे एवं निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के विरुद्ध जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(अखिल अरोरा)

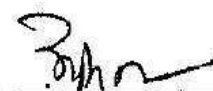
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:- एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/77784

दिनांक: 18/12/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम.....
3. श्री अमित अग्रवाल, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, जयपुर।
4. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2017/125256

दिनांक: 20/02/2018

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म-मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषय:- गतिमान यान में मृत्यु होने पर रजिस्ट्रीकरण के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधिकांश जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा निदेशालय से गतिमान यान में मृत्यु होने पर रजिस्ट्रीकरण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है, जबकि इस संबंध में पूर्व में भी समय-समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। अतः ऐसे प्रकरण का निस्तारण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 6 के प्रावधान अनुसार "यदि किसी गतिमान यान में जन्म या मृत्यु होती है तो उसकी बाबत धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली इत्तिला यान का प्रभारी व्यक्ति प्रथम विराम स्थान पर देगा या दिलवायेगा। यदि गतिमान यान का प्रभारी, यान में हुई मृत्यु की इत्तिला प्रथम विराम स्थल पर नहीं देता है तो मृत्यु की ऐसी घटना का रजिस्ट्रीकरण उस स्थान पर किया जाना चाहिये जहाँ मृतक का दाहकर्म/अन्तिम संस्कार किया जाता है"।

अतः उपरोक्तानुसार रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही करने हेतु समस्त रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को निर्देशित करें।

भवदीय,


(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2018/388

दिनांक: 26/07/2018

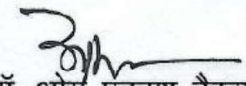
जिला रजिस्ट्रार, (जन्म-मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषय:- मिथ्या/गलत तथ्यों पर आधारित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) से ऐसे प्रकरण प्राप्त होते हैं जिसमें मिथ्या/गलत तथ्यों पर आधारित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में मार्गदर्शन मांगा जाता है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरण जिसमें गलत तथ्यों एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कराये जाते हैं तो जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) उन प्रकरण के तथ्यों की जांच करें एवं सन्तुष्ट होने पश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करावें तथा फर्जी/कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जारी कराये गये प्रमाण पत्र को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 एवं राज्य नियम, 2000 के नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही करें।

भवदीय,


(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2018/

दिनांक:

प्रतिलिपि :- जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2018/28

दिनांक: 15/01/2019

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म-मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषय:- जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम, 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, परन्तु देखने में आया है कि अधिकांश रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा दिये गये मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है अथवा रजिस्ट्रारों द्वारा अनावश्यक स्वघोषित नियम बना दिये गये हैं। जिससे आमजन को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आमजन को जन्म-मृत्यु पंजीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु निम्न दिशा-निर्देशानुसार जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करावें।

- 1- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की किसी भी प्रविष्टि में संशोधन अथवा निरस्तीकरण के समय आवेदक द्वारा पूर्व में जारी मूल जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा जारी कराई अतिरिक्त प्रतियाँ प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में आवेदक से पाई पेपर पर एक शपथ पत्र (Undertaking) लिया जावे की पूर्व में जारी प्रमाण पत्र/उसकी प्रतियों का दुरुपयोग नहीं किया जावेगा। तत्पश्चात संशोधित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावें।
2. रजिस्ट्रार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय शिशु के माता/पिता को उपस्थित होने के पश्चात प्रमाण पत्र दिया जाता है और मृत्यु प्रमाण पत्र के समय मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु बुलाया जाता है। जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि आवेदक अपरिहार्य कारणों से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय में आने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में वह एक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार के नाम लिखेगा की वह आने में असमर्थ होने के कारण अन्य परिचित को प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भिजवा रहा है, तो रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित व्यक्ति के पहचान के दस्तावेज प्राप्त कर जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जावें।
3. रजिस्ट्रार द्वारा संस्थानिक घटनाओं (जन्म-मृत्यु) के लिए भी अनुज्ञा की मांग की जाती है जाकि अनुचित है। संस्थागत घटनाओं के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह घटनाएँ संस्था से नियमानुसार विलम्ब शुल्क लेने के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा भी पंजीकृत की जा सकती है। संस्थान से तात्पर्य राजकीय और निजी दोनों प्रकार के चिकित्सा संस्थान से है।

4. रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में ऐसे संशोधन यथा आवेदक एवं माता/पिता के मध्यनाम, सरनेम, पते आदि कि लिए आमजन को चिकित्सा संस्थानों में नहीं भिजवाया जावे। मूल नाम में संशोधन हेतु चिकित्सा संस्थान के रिकॉर्ड में दुरस्त करवाने तथा जन्म-मृत्यु तिथि की पुष्टि करने हेतु ही चिकित्सा संस्थान में भेजा जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के लिए कोई भी परिवर्तन संशोधन करने से पूर्व यह भी आवश्यक है कि वह सभी तथ्यों/दस्तावेजों की जांच करें तथा अपनी संतुष्टि उपरान्त कार्यवाही करें।
5. आवेदक द्वारा स्वयं अथवा पुत्र/पुत्री के जन्म प्रमाण में दर्ज मध्य नाम या सरनेम के संशोधन हेतु आवेदन करने पर संबंधित व्यक्ति से गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाने हेतु कहा जाता है। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया केवल मूल नाम में परिवर्तन के संबंध में ही अपनाई जायेगी। मध्यनाम अथवा सरनेम में संशोधन के लिए गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।
6. आवेदक द्वारा पूर्व में जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन करने पर रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र में संशोधन करने के पश्चात आवेदक के मोबाईल नम्बर भी दर्ज किये जावें।
7. जन्म-मृत्यु के पंजीयन हेतु निजी चिकित्सालयों को वेब पोर्टल "पहचान" पर यूजर आई. डी. देकर आवेदन करने की सुविधा प्रारम्भ की गई है, परन्तु रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक से आवेदन की मूल प्रति (हार्ड कॉपी) की मांग की जाती है। अतः निजी चिकित्सालयों से रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार द्वारा हार्ड कॉपी नहीं मंगवाई जावे तथा ऑनलाईन आवेदन के आधार पर ही घटना का रजिस्ट्रेशन किया जावे।

अतः उपरोक्तानुसार अपने क्षेत्र के सभी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को अविलम्ब पालना हेतु आदेश जारी करे, ताकि आमजन को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

भवदीय,



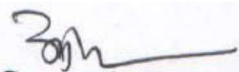
(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2018/28

दिनांक: 15.01.2019

प्रतिलिपि :- जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम समस्त जिला
को भेजकर लेख है कि सभी रजिस्ट्रार /उपरजिस्ट्रार को अविलम्ब पालना करने हेतु
निर्देश जारी करने का श्रम करे।



मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ13/1/3/जिला मार्गदर्शन/वीएस/डीईएस/2019/110

दिनांक-27-2-2020

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
जिला कलेक्टर,
समस्त

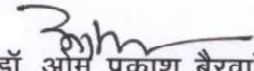
विषय:- आमजन को जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र के लिए निदेशालय भिजवाने के संबंध में।

संदर्भ- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विडियों क्रॉन्फ्रेस दिनांक 14.02.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित वी.सी. के क्रम में लेख है कि दिनांक 14.02.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिला कलेक्टर से विडियों क्रॉन्फ्रेस द्वारा आमजन से जुड़े छोटे कामों के लिए लोगों का जयपुर तक आना गंभीर माना गया है तथा जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गये हैं, उनकी जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

परन्तु प्रायः देखा गया है कि जिला रजिस्ट्रार एवं उप/सहायक निदेशक/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं ब्लॉक विकास अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आमजन को जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण/कार्यों के लिए इस निदेशालय भिजवा दिया जाता है, जबकि निदेशालय से इस संबंध में निरन्तर निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं, की वह प्रकरण की स्वयं के स्तर से जांच कर एवं जांच एवं तथ्यों से सन्तुष्ट होने के पश्चात प्रकरण का निस्तारण करें एवं यदि कोई विशिष्ट प्रकृति का प्रकरण हो तब ही स्वयं की अनुशंसा सहित आवश्यक मार्गदर्शन हेतु प्रकरण निदेशालय भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की पालना में जन्म-मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण का जिला स्तर/ब्लॉक स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर ही निस्तारण करने हेतु रजिस्ट्रीकरण से जुड़े हुए सभी अधिकारी/कार्मिकों को निर्देशित एवं पाबन्द करने का श्रम करावें।


(डॉ. अमि प्रकाश बैरवा)

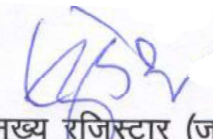
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ13/1/3/जिला मार्गदर्शन/वीएस/डीईएस/2019/110

दिनांक 27-2-2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम समस्त।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक समस्त।


अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:— एफ13 / 1 / 3 / वे.पो. / डीईएस / 2014 / 392

दिनांक:— 13.08.2020

परिपत्र

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम-2000 के नियम 10 के प्रावधान के अन्तर्गत बालक/बालिका के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराये जाने के प्रावधान है। वर्तमान व्यवस्था में नाम जुड़वाने के लिए माता-पिता अथवा संरक्षक को स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के पास जाना पड़ता है। आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए वेब पोर्टल पहचान एवं ई-मित्र सेवाओं के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के जन्म होने के पश्चात् एक वर्ष तक निशुल्क नाम जोड़ने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वेबपोर्टल पहचान एवं ई-मित्र सेवाओं के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र में ऑनलाईन नाम जुड़वाने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

वेबपोर्टल पहचान के माध्यम से प्रक्रिया:—

1. आमजन द्वारा पहचान पोर्टल पर बच्चे का नाम जोड़े विकल्प पर अपना पंजीकरण, मोबाईल नम्बर अथवा पंजीकरण संख्या से खोजा जायेगा।
2. पंजीकरण में नाम खाली होने एवं जन्म दिनांक में एक वर्ष से कम का अंतराल होने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण के समय दिया गया आधार संख्या दर्ज करना होगा जिससे आवेदक की पहचान सुनिश्चित हो सके।
3. आधार सत्यापन के पश्चात् आवेदक को बच्चे का नाम (जिसे पंजीकरण में जुड़वाना है) दर्ज करना होगा।
4. आवेदक के पास आवेदन पूर्ण होने का SMS भेजा जायेगा।
5. नाम जोड़ने के आवेदन को संबन्धित रजिस्ट्रार की Login पर दिखाया जायेगा जहां से रजिस्ट्रार बच्चे के नाम जोड़ने के आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकता है। जिसका SMS आवेदक को जायेगा।
6. अनुमोदित करने के पश्चात्, नाम सहित पंजीकरण का रजिस्ट्रार द्वारा ई-साईन कर दिया जायेगा।
7. नाम रहित ई-साईन प्रमाणपत्र को आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।
8. आमजन को नाम जोड़ने के आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर दिखेगी।

ई-मित्र के माध्यम से प्रक्रिया:—

1. ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रपत्र में चाही गई सम्पूर्ण सूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरनी होगी।
3. आवेदक को अपनी पहचान एवं पले सम्बन्धी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक

रूप से आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। पहचान एवं पते के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है:— मतदाता पहुंचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, कार्यालय पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेज, जिनसे फोटो/पते की पहचान हो सके।

4. आवेदक को ई-मित्र केन्द्र पर नाम जुडवाने एवं नाम वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए के लिए 25/- रुपये का शुल्क अदा करना होगा।
5. ई-मित्र संचालक को आवेदक द्वारा आवेदन पश्चात् स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करने के पश्चात् 7 कार्य दिवस में बच्चे के नाम वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से की जावें।

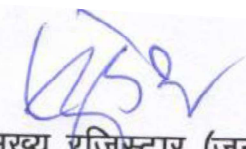

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/3/वे.पो./डीईएस/2014/332

दिनांक:—13.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, समस्त ।
4. जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम समस्त ।
5. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 8 बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, जयपुर।
9. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त ।
10. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।
11. रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)



**राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर**

क्रमांक:— एफ13/1/3/जिला मार्ग./वीएस/डीईएस/2019/01

दिनांक: 1.1.2021

परिपत्र

विषय:— मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक की एक से अधिक पत्नी होने पर नाम दर्ज करने के संबंध में।

जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। किसी व्यक्ति (पुरुष) की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र में विवाहित पत्नी का नाम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, के प्रावधान के अन्तर्गत एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के दिशानिर्देशानुसार दर्ज किया जाता है।

परन्तु जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार से ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं जिसमें मृतक (पुरुष) की मृत्यु होने पर मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और वह स्वयं को मृतक की पत्नी बताती है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करने हेतु दावा प्रस्तुत करती है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अतः उपरोक्त प्रकार के प्रकरण पर निम्नानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित की जावें:—

1. मृतक का धर्म, हिन्दू होने की स्थिति में:— हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 (1) के प्रावधानानुसार विवाह के समय किसी भी पक्षकार का जीवित पति/पत्नी नहीं होना चाहिए। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार यदि कोई विवाह धारा 5 के खण्ड (1) में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करता है तो यह अकृत और शून्य होगा। अतः प्रथम विवाहित पत्नी के जीवित रहते हुए अथवा प्रथम पत्नी से विधिक विवाह विच्छेद नहीं होने पर भी दूसरी स्त्री से किया गया विवाह कानूनी तौर पर अकृत और शून्य माना जाएगा एवं प्रथम पत्नी का नाम ही मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाएगा।

2. मृतक का धर्म, मुस्लिम होने की स्थिति में:— भारतीय मुस्लिम Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937 के द्वारा शासित होते हैं। Shariat (law) के अन्तर्गत मुस्लिम में एक से अधिक विवाह मान्य हैं। कुरान के अन्तर्गत मुस्लिम में एक साथ चार तक विवाह मान्य हैं। परन्तु राजकीय अधिकारी/कर्मचारी के लिए एक से अधिक विवाह राज्य सेवा नियम के अन्तर्गत मान्य नहीं होंगे। अतः ऐसी स्थिति में मृतक (पुरुष) के मृत्यु प्रमाण पत्र में एक से अधिक परन्तु अधिकतम चार जो विवाह पंजीकरण के समय अस्तित्व में हों का नाम दर्ज किया जा सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है की उक्त दोनों स्थितियों में रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) स्वयं की संतुष्टि पश्चात् मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक की एक से अधिक पत्नी होने पर नाम दर्ज करेगा तथा यदि कानूनी वैधता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तब उसका निर्णय सक्षम न्यायालय के आदेश पर ही किया जाएगा।

उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।


डॉ.आम प्रकाश बेरवा
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTEE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 11, रविवार, शाके 1942—जनवरी 31, 2021 Magha 11, Sunday, Saka 1942 January 31, 2021	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 30, 2021

जी.एस.आर.242 :-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं० 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 5 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 31 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 31ए तथा 31बी एवं उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

“

	31ए,	पालनहार योजना	90 दिवस	समाजिक सुरक्षा अधिकारी	—	जिले में पदस्थापित उपनिदेशक/सहायक निदेशक	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर	
	31बी,	लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना	90 दिवस	अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	उप निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	जिला कलक्टर	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर	

”

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 07 के सामने कॉलम संख्या 03 में विद्यमान क्रम संख्या 48 बी एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् नये क्रम संख्या 48सी एवं उसकी

26 —	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	155.	शहरी क्षेत्र में,— 1. रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम / आयुक्त, नगर परिषद / अधिकाधिकारी,	महापौर / सभापति / अध्यक्ष	
			2. जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के पश्चात विलम्ब शुल्क जमा कराने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम / आयुक्त, नगर परिषद / अधिकाधिकारी,	महापौर / सभापति / अध्यक्ष	
			3. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण अन्तर्गत अनुज्ञा प्रक्रिया जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 दिवस के पश्चात् परन्तु 1 वर्ष के भीतर घटना पंजीकृत कराने हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा / आदेश	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम	पदस्थापित अधिकारी	महापौर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला रजिस्ट्रार	
			4. जन्म या मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष पश्चात् घटना पंजीकृत कराने हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा / आदेश	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार	नायब तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला रजिस्ट्रार	

			5.जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में रजिस्ट्री को ठीक या रद्द करना (प्रक्रिया पूर्ण करने पर)	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम / आयुक्त, नगर परिषद / अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर / सभापति / अध्यक्ष	
			6. जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम / आयुक्त, नगर परिषद / अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर / सभापति / अध्यक्ष	
			7.विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम / आयुक्त, नगर परिषद / अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर / सभापति / अध्यक्ष	
		156-	ग्रामीण क्षेत्र में, - 1.जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ / कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

			2.जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			3.जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के पश्चात् परन्तु 30 दिवस के भीतर विलम्ब शुल्क जमा कराने के पश्चात् नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			4.जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 दिवस के पश्चात् परन्तु 1 वर्ष के भीतर अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी की अनुज्ञा एवं विलम्ब शुल्क जमा कराने के पश्चात् नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			5.जन्म या मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष पश्चात् कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा एवं विलम्ब शुल्क जमा कराने के पश्चात् नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

			6.जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में रजिस्ट्री को ठीक या रदद करना (प्रक्रिया पूर्ण करने पर)	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			7.विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
		157—	राजकीय चिकित्सालय,— रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	
		158—	जन-आधार पंजीयन कर आई. डी. व जन-आधार ई-कार्ड जारी करना।	45 दिवस	विकास अधिकारी/उप खण्ड अधिकारी	तहसीलदार	अति. जिला जन आधार योजना अधिकारी (उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	जिला कलक्टर (जिला जन आधार योजना अधिकारी)	
		159—	बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी कर बी.आर. एन.कार्ड प्रदान करना।	07 दिवस	ब्लॉक सांख्यिकी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	सांख्यिकी निरीक्षक (पदाभिहित बी. आर.एन)	उप/सहायक निदेशक (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव एवं राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार	

"

27	पर्यटन विभाग	160	1. राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रदान करना	15 दिवस	निदेशक/अ युक्त पर्यटन	संयुक्त निदेशक (निवेश)	प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन	—	—
			2.ट्रेवल एजेंसी/एक्सर्सन एजेंसी/सफारी आपरेटर का पंजीकरण	15 कार्य दिवस (संबंधित जिला पर्यटन कार्यालय से आवेदन पूर्णता की सूचना तथा निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त)	निदेशक/आयुक्त पर्यटन	संयुक्त निदेशक (ट्रेड)	प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन	—	—

"

[No. F16(1)RPG/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

अश्विनी भगत,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/33/वीएस/डीईएस/तक./2021/426

दिनांक: 06.07.2021

—:परिपत्र:—

आमजन की सुविधा हेतु राज्य में 01.01.2014 से पूर्व जारी किए गए हस्तलिखित जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र के लिए वेबपोर्टल पहचान पर ऑनलाईन आवेदन कर ई-साईन युक्त कम्प्यूटराईज्ड प्रमाण पत्र जारी करना प्रारम्भ किया गया है। पहचान पोर्टल के माध्यम से आमजन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने एवं रजिस्ट्रार द्वारा ई-साईन युक्त कम्प्यूटराईज्ड प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

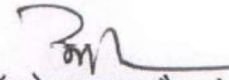
आमजन :-

1. पहचान पोर्टल पर 'आवेदन लिगेसी प्रमाण पत्र कम्प्यूट्रीकरण' विकल्प पर क्लिक करके जन्म/मृत्यु/विवाह हेतु आवेदन में प्रवेश करना होगा।
2. जन्म प्रमाण-पत्र के आवेदन हेतु बच्चे के माता या पिता का आधार नम्बर, मृत्यु प्रमाण-पत्र के आवेदन हेतु माता या पिता या पति/पत्नी का आधार नम्बर एवं विवाह प्रमाण-पत्र आवेदन हेतु पति/पत्नी का आधार नम्बर दर्ज करना होगा, ओटीपी द्वारा आधार सत्यापन पश्चात आवेदन प्रपत्र में चाही गई विधिक/सांख्यिकी सूचना अनिवार्य रूप से भरनी होगी।
3. सूचना भरने के पश्चात पुराना जन्म/मृत्यु/विवाह प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा एवं 'इन्द्राज करें' पर क्लिक करना होगा।
4. इन्द्राज के पश्चात आवेदक को Reference No- प्राप्त होगा तथा आवेदन प्रपत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित रजिस्ट्रार को अग्रेषित हो जाएगा।
5. संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र की आवश्यक जाँच कर सही होने की स्थिति में ई-साईन/डिजिटल साईन युक्त कम्प्यूटराईज्ड जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा परन्तु जाँच में कमी पाए जाने पर रजिस्ट्रार द्वारा टिप्पणी में कमी का कारण अंकित करके आवेदक को आवेदन प्रपत्र लौटा दिया जायेगा एवं आवेदक द्वारा कमी की पूर्ति 'आवेदन संशोधन' में करने के पश्चात ई-साईन/डिजिटल साईन युक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त हो सकेगा।
6. जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात अथवा आवेदन पत्र में कमी पाये जाने पर आवेदक को SMS के माध्यम से सूचना दी जायेगी।
7. आवेदक Reference No- की सहायता से आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
8. जारी किए गए ई-साईन/डिजिटल साईनयुक्त प्रमाण-पत्र को आवेदक द्वारा पहचान पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

रजिस्ट्रार :-

1. रजिस्ट्रार प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करेगा, जाँच में सही पाए जाने पर इन्द्राज करके ई-साईन युक्त प्रमाण-पत्र जारी करेगा। जाँच में कमी पाए जाने पर टिप्पणी में कमी का कारण अंकित करके आवेदक को आवेदन प्रपत्र लौटा दिया जायेगा एवं आवेदक द्वारा कमी की पूर्ति 'आवेदन संशोधन' में करने के पश्चात ई-साईन युक्त प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- 2- जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र जारी होने अथवा कमी दोनों ही स्थिति में आवेदक को SMS द्वारा सूचना स्वतः जायेगी।

भवदीय



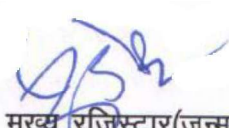
(डॉ.ओमप्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.13/1/3/33/वीएस/डीईएस/तक./2021/426 दिनांक:- 06.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर, जिला.....।
4. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम, जिला.....।
5. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला.....।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी झालाना डुंगरी, जयपुर।
8. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला..... को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र सम्बन्धित अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर परिषद/नगरपालिका.....जिला.....।
10. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु)
एवं संयुक्त निदेशक (जीवनांक)



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक — एफ13/1/13/तक सम/वीएस/डीईएस/2019/789

दिनांक: 30/07/2021

परिपत्र

विषय:— मृत जन्म के पंजीयन में 21 दिवस की अवधि में शिथिलता बाबत।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.10.2012 द्वारा राज्य के चिकित्सालयों/सीएचसी/पीएचसी को अधिसूचित कर इन चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी अधिकारी जिसमें चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, को रजिस्ट्रीकरण करने हेतु उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) घोषित किया हुआ है। इन चिकित्सा संस्थानों/सीएचसी/पीएचसी को उनके संस्थान परिसर क्षेत्र में घटित जन्म/मृत्यु/मृत जन्म की घटनाओं का केवल अविलम्बित अवधि (21 दिवस) में रजिस्ट्रीकरण करने हेतु निदेशालय के पत्रांक 740-72 दिनांक 12.03.2013 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परन्तु इन चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त उपरजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित 21 दिवस के भीतर मृत जन्म की घटनाओं का पंजीयन नहीं किया जा रहा है जिस कारण राज्य में मृत जन्म का सही डेटा प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

अतः जन्म-मृत्यु पंजीयन सम्बन्धित कार्य की देख-रेख हेतु गठित राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी के निर्देशानुसार एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 4(4) के प्रावधान का प्रयोग करते हुए मृत जन्म के शत-प्रतिशत पंजीयन हेतु चिकित्सा संस्थानों/सीएचसी/पीएचसी में नियुक्त उपरजिस्ट्रार को निर्धारित अवधि (21 दिवस) में मृत पंजीयन की बाध्यता में शिथिलता प्रदान की जाती है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि मृत जन्म की घटनाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जावे।


(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



Speed Post/Email

F.No. 1/2/Raj./212-VS (CRS)/1097

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, Civil Registration System, West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110066

E-mail-drg-crs.rgi@nic.in

Dated 02-11-2021

To

The Chief Registrar of Births & Deaths and
Director of Economics & Statistics,
Rajasthan, Behind New High Court Building,
Tilak Marg, C Scheme, **JAIPUR-302 005**

Subject: Clarification regarding correction of parent's name in the birth certificate of a adopted child who was born outside India.

Sir

Please refer your office letter no. F13/1(3)/31/VS/DES/2012/1053 dated 20-10-2021 vide which clarification has been sought regarding change of parent's name in the birth certificate of a child (Mr. Gurvin Singh) who was born on 13-01-2018 at Canada and taken on adoption within relatives in India on 16-04-2021. The said birth certificate was issued by registration authority in Canada vide registration on 2018-08-001609 on 30-01-2018.

2. In this connection, it is to clarify that as the said birth certificate was issued by Registration authorities of Canada under prevailing Act and Rules of the country therefore, the said birth certificate cannot be changed by the Registration authority under RBD Act, 1969 in India. However, in the referred matter, the procedure for making/changing entries in birth record of children taken on adoption may be followed as prescribed in this office circular no. 1/7/2011 VS (CRS) dated 12-03-2012 (Para 2(i)) and subsequent circular dated 15-05-2015, accordingly the concerned Registrar of the area where the adoption has taken place may register the birth in India on the basis of valid adoption deed and duly filled-in birth reporting form (Form 1A) and issue the birth certificate with the name(s) of adoptive parent(s). The said circulars may be seen at this office website www.crsorgi.gov.in.

3. Further, in the referred matter, an order of local Magistrate under the Delayed registration provision of section 13 (3) of the RBD Act 1969 should also be obtained before registering the said event.

Yours faithfully,

(Sandhya Singh)

Deputy Registrar General

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

"Ensure Registration of Every Birth and Death"



स्पीड पोस्ट / ईमेल

सं. 1/2/राज./2012-वीएस (सीआरएस)/1099

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय / MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय / OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066

V.S Division, Civil Registration System, West Block -I, R.K. Puram,
New Delhi-110066

ई-मेल- drg-crs.rgi@nic.in

दिनांक: 09-11-2021

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु तथा
उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
राजस्थान, योजना भवन, नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302005.

विषय: विदेश में जन्म लेने वाले दत्तक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता के नाम में सुधार के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या एफ13/1(3)/31/वीएस/डीईएस/2012/1053 दिनांक 20.10.2021 का संदर्भ लें जिसके माध्यम से एक बच्चे (श्री गुरवीन सिंह) के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता का नाम बदलने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसका जन्म 13.01.2018 को कनाडा में हुआ था और जिसे 16.04.2021 को भारत में रिश्तेदारों द्वारा गोद लिया गया था। उक्त जन्म प्रमाण पत्र 30.01.2018 को कनाडा में पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण संख्या 2018-08-001609 के माध्यम से जारी किया गया था।

- 2- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि, चूंकि उक्त जन्म प्रमाण पत्र कनाडा के पंजीकरण अधिकारियों द्वारा प्रचलित अधिनियम और देश के नियमों के तहत जारी किया गया था, इसलिए, उक्त जन्म प्रमाण पत्र को पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आरबीडी अधिनियम, 1969 के तहत भारत में बदला नहीं जा सकता। तथापि, संदर्भित मामले में, गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में प्रविष्टियां डालने/बदलने के लिए, इस कार्यालय के कार्यालय परिपत्र संख्या 1/7/2011 वीएस(सीआरएस) दिनांक 12.03.2012 के (पैरा 2(i)) और इसके बाद के दिनांक 15.05.2015 के परिपत्र में यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, तदनुसार उस क्षेत्र के संबंधित रजिस्ट्रार जहां गोद लिया गया है, वैध दत्तक विलेख और विधिवत भरे हुए जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म (फॉर्म 1 ए) के आधार पर भारत में जन्म को पंजीकृत कर सकते हैं तथापि दत्तक माता-पिता के नाम के साथ जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। उक्त परिपत्रों को इस कार्यालय की वेबसाइट www.crsorgi.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

“Ensure Registration of Every Birth and Death”

3. इसके अलावा, संदर्भित मामले में, उक्त घटना को दर्ज करने से पहले, आरबीडी अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के विलंबित पंजीकरण प्रावधान के तहत स्थानीय मजिस्ट्रेट का एक आदेश भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

भवदीया,



(संध्या सिंह)

उप महारजिस्ट्रार प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।
“Ensure Registration of Every Birth and Death”



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ13/1/26/ वीएस / डीईएस/पेनल्टी/2005/1320

दिनांक: 28/12/2021

परिपत्र-।

विषय:- जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत शास्तियाँ।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रारों को उनके अधिकारिता क्षेत्र में होने वाली जन्म या मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है तथा इस अधिनियम की धारा 8 व 9 के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों, चिकित्सा संस्थान (राजकीय/निजी), जिला छात्रावास/धर्मशाला आदि के भारसाधक अधिकारी/सूचनादाता को जन्म-मृत्यु पंजीयन के लिए निर्धारित अवधि में सूचना रजिस्ट्रार को देने के लिए उत्तरदायी बनाया हुआ है।

इस अधिनियम में रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण करने में असफल रहने अथवा उपेक्षा/इंकार करने पर तथा उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्ति/भारसाधक अधिकारी/सूचनादाता पर निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को पंजीयन के लिए सूचना देने में असफल रहने पर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 (1) से लेकर 23 (5) तक के अन्तर्गत शास्तियाँ/पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

शास्तियाँ-

23. (1) कोई व्यक्ति जो-

- (क) धारा 8 और 9 के किन्हीं उपबंधों के अधीन ऐसी इतिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा; अथवा
 - (ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में लिखे जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इतिला देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है, अथवा
 - (ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से. जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (2) कोई रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या उससे इन्कार युक्तियुक्त कारण के बिना करेगा यह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
 - (3) कोई चिकित्सा व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाण पत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाण पत्र परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
 - (4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना उल्लंघन करेगा जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वह जुर्माने से जो दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
 - (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) में किसी बाल के होते हुए भी. इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जाएगा।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार/भारसाधक अधिकारी/सूचनादाता पर निर्धारित अवधि में अपने कर्तव्य पालन में असफल रहने पर शास्तियाँ/पेनल्टी लगाने के लिए मुख्य रजिस्ट्रार/अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

अतः जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार जो जन्म और मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रीकरण निर्धारित अवधि में करने में असफल रहते हैं तथा जन्म और मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए उत्तरदायी भारसाधक अधिकारी/सूचनादाता पर निर्धारित अवधि में सूचना देने में असफल रहने पर शास्तियाँ/पेनल्टी लगाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।



(आर.के.पाण्डे)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक – एफ13/1/3/ननिजे/वीएस/डीईएस/2021/1321-28

दिनांक: 28/12/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप महारजिस्ट्रार, (सीआरएस) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली-110066
4. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी झालाना झुंगरी, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर समस्त।
6. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला.....।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।
8. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।



निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ13/1/3/जनाधार/वीएस/डीईएस/2020/462

दिनांक-27.4.2022

परिपत्र-3

विषय:- जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनआधार की अनिवार्यता के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा परिवर्तित बजट 2019-20 में की गई बजट घोषणा (अनु सं. 141) की अनुपालना में "राजस्थान जनाधार योजना 2019" का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजनान्तर्गत जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन को भी सम्मिलित किया गया है। इन घोषणाओं के क्रियान्वयन के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एक 11 (430)/DOIT&C/2021/03211/2021 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेजों के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाईन प्रमाणीकरण जनआधार रेजिडेंट डेटा रिपोजिटरी के माध्यम से सत्यापन हेतु निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त बजट घोषणा एवं राजस्थान जनाधार प्राधिकरण अधिनियम की अनुपालना में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन सेवाओं के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

1. जन्म का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के समय बालक/बालिका के परिवार का जनाधार/जनाधार नामांकन रसीद संख्या लिया जावे।
2. मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के समय मृतक के परिवार का जनाधार/जनाधार नामांकन रसीद संख्या लिया जावे।
3. विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु वर एवं वधु के परिवार का जनाधार/जनाधार नामांकन रसीद संख्या लिया जावे।

यह उल्लेखनीय है कि जनाधार की अनिवार्यता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी पर ही लागू होगी, तथा जनाधार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवश्यक रूप से जनाधार नामांकन रसीद संख्या ली जायेगी।

उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जावे।

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक - एफ13/1/3/जनाधार/वीएस/डीईएस/2020/462

दिनांक:-27-4-2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप महारजिस्ट्रार भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली-110066।
3. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी झालाना झुंगरी, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर समस्त।
5. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला समस्त।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी योजना भवन जयपुर।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।
8. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

(अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक))



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

कमाक-एफ-13/5/2/वीएस/डीईएस/2015/463

दिनांक:- 28-4-2022

परिपत्र-2

विषय:- मृतक के परिजन को मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (MCCD) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 10(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार व्यक्ति की अन्तिम बीमारी के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा संस्थानों में मृत्यु होने पर प्रारूप संख्या 4 तथा गैर संस्थागत मृत्यु की स्थिति में रजिस्टर्ड चिकित्सक (Registered Medical Practitioner) द्वारा प्रारूप संख्या 4A में जारी किये जाकर मृत्यु पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को भिजवाये जाते हैं।

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के परिपत्र दिनांक 03.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 23.09.2021 एवं इस निदेशालय के पत्रांक 1056 दिनांक 21.10.2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिस राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी में व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस संस्थान में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र मृतक के परिजन की मांग किये जाने पर प्रपत्र-4 में और गैर संस्थागत मृत्यु में रजिस्ट्रार के पास प्रपत्र-4A उपलब्ध होने की स्थिति में रजिस्ट्रार द्वारा मृतक के परिजन की मांग करने पर मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (MCCD) ऑफलाईन उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आमजन की सुविधा हेतु पहचान पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ ही मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (MCCD) प्रपत्र 4 एवं 4A जारी करना सुनिश्चित करावे जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

संस्थागत:-संस्थागत मृत्यु की घटनाओं के लिए रजिस्ट्रार एवं उपरजिस्ट्रार व चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रपत्र 4 जारी किया जाएगा, जहां मृत्यु की घटना के पंजीकरण के समय प्रपत्र-2 के भरते समय ही एमसीसीडी कोड दर्ज किया जाता है। आवेदक द्वारा एमसीसीडी प्रपत्र 4 की मांग करने पर उपरजिस्ट्रार अपने पहचान के लॉगिन से मृत्यु पंजीकरण संख्या व वर्ष से खोजकर प्रपत्र-4 (पूर्व में एमसीसीडी कोड दर्ज होने की स्थिति में) जारी करेंगे। आगामी सभी मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के लिए उपरजिस्ट्रार मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही एमसीसीडी प्रपत्र-4 भी ऑनलाईन जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

गैर संस्थागत:- गैर संस्थागत मृत्यु की घटनाओं के लिए चिकित्सा अधिकारी/रजिस्टर्ड चिकित्सक (Registered Medical Practitioner) द्वारा जारी प्रपत्र-4A यदि रजिस्ट्रार को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया है तो रजिस्ट्रार पहचान पोर्टल पर मृत्यु की घटना का प्रपत्र-2 में इन्द्राज करते समय ही मृत्यु का एमसीसीडी कोड भी दर्ज करके मृत्यु के प्रमाण पत्र के साथ-साथ रजिस्ट्रार एमसीसीडी प्रपत्र-4A जारी करेंगे। यदि प्रपत्र-4A मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात मृतक के परिजन द्वारा रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराया जाता है तो रजिस्ट्रार पहचान के लॉगिन से मृत्यु पंजीकरण संख्या व वर्ष से खोजकर मृत्यु का एमसीसीडी कोड दर्ज करके प्रपत्र-4A जारी करेंगे।

उक्त परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है, जिसकी पालना सुनिश्चित करावे।



(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)

मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक-एफ-13/5/2/वी.एस./डीईएस/2015/463

दिनांक:-28-4-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर समस्त ।
8. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला समस्त ।
- 9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC योजना भवन को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार पहचान पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में पहचान पोर्टल पर विकल्प प्रदान कर आवश्यक व्यवस्था करावे।
10. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
11. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी पंचायत समिति समस्त



अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:— एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2020/613

दिनांक:— 30.06.2022

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
एवं उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त।

विषय:— जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनाधार की अनिवार्यता से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में।

महोदय,

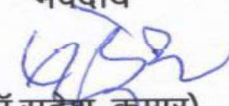
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पहचान पोर्टल पर ऑनलाईन जारी किये जा रहे जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में परिपत्र क्रमांक 462 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा जनाधार को अनिवार्य किये जाने के पश्चात् जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के समक्ष जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु आमजन की सुविधा हेतु पहचान पोर्टल में विकल्प का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:—

1.	जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन करने पर परिवार का जन-आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में।	आवेदक से जनाधार हेतु नामांकन करवाया जावे।
2.	मृत्यु की घटना का आवेदन करने पर मृतक (पति/पत्नी) का एवं मृतक के माता/पिता का जन-आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
3.	राजस्थान के बाहर के निवासियों का जन्म/मृत्यु एवं विवाह प्रमाण के आवेदन के लिए जनाधार की अनिवार्यता।	राजस्थान के बाहर के निवासियों के लिए जनाधार की अनिवार्यता नहीं होने के कारण उन्हें छूट प्रदान करना।
4.	विवाह प्रमाण पत्र का आवेदन करने पर वर-वधु दोनों के परिवार का जन आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में।	जनाधार का नामांकन करवाया जावे।
5.	वर या वधु दोनों में से एक पक्ष का राजस्थान के बाहर का निवासी होने की स्थिति में।	वर अथवा वधु दोनों पक्ष में से जो राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी है, उन्हें जनाधार से छूट प्रदान करना।
6.	दत्तक ग्रहण किये गये बच्चों का रजिस्ट्रेशन।	यदि दत्तक ग्रहण राज्य में किया गया है और दत्तकग्रहीता राजस्थान राज्य का निवासी है तो उन्हें जनाधार प्रस्तुत करना होगा। परन्तु दत्तकग्रहीता राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी है तो उन्हें जनाधार से छूट प्रदान करना।
7.	अनाथालय में निवास कर रहे व्यक्तियों के जन्म/मृत्यु का रजिस्ट्रेशन में जनाधार की अनिवार्यता।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
8.	चिकित्सालय में उपचार हेतु लाये गये मरीज की Brought Dead की स्थिति में।	मृतक के परिजन का जनाधार प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन करना।
9.	लावारिस/अज्ञात मृतक की स्थिति में।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।

10.	पूर्व में जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदक से जनाधार लिया जाना जबकि उनके परिवारजन का जनाधार उपलब्ध नहीं होना।	जनाधार अनिवार्यता की छूट प्रदान करना।
11.	विवाह प्रमाण पत्र के आवेदन करने पर वर व वधु एवं दोनों पक्ष के परिवारजन (माता/पिता) के अलग-अलग जनाधार प्रस्तुत करना पड़ता है जबकि वर एवं वधु दोनों का नाम एक ही जनाधार में नाम होने की स्थिति में।	वर व वधु का नाम एक ही जनाधार से लिया जावे।
12.	आवेदक द्वारा जन्म/मृत्यु अथवा विवाह प्रमाण पत्र के आवेदन के समय जनाधार प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट मना करना और न ही वह जनाधार बनाना चाहते हैं।	आवेदक से एक अण्डरटैकिंग लेना की उनके द्वारा जनाधार का नामांकन नहीं करवाया गया है और न ही वह जनाधार बनाना चाहते हैं। तथा राज्य में सम्पादित की जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक है।

जनाधार की अनिवार्यता लागू करने के पश्चात् राजकीय चिकित्सालयों/सीएचसी/पीएचसी में जन्म/मृत्यु के पंजीयन में उत्पन्न कठिनाई के संबंध में उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को जन्म/मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन के लिये दिनांक 20.07.2022 तक जनाधार की अनिवार्यता से छूट (Exempt) प्रदान की जाती है। अतः उक्त विकल्प अनुसार जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(डॉ. सुदेश कुमार)
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
एवं संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

क्रमांक:- एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2020/613

दिनांक:- 30.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर समस्त।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला समस्त।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी योजना भवन जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्तानुसार पहचान पोर्टल पर विकल्प का प्रावधान कराने का श्रम करावे।
4. अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेज समस्त।
5. चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी समस्त।
6. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।


अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एफ13/1/3/नि०चि०/वीएस/डीईएस/2021/671

दिनांक: 27.07.2022

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
समस्त ।

विषय:-निजी चिकित्सालय के ऑनलाईन लॉगिन आई. डी. पासवर्ड की प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (1)ख के तहत चिकित्सालय में होने वाली जन्म-मृत्यु की घटना की सूचना चिकित्सा अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति देता है, पहचान पोर्टल पर निजी चिकित्सालय को यूजर आई.डी एवं पासवर्ड हेतु आवेदन करने की ऑनलाईन सुविधा प्रदान की गई है, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया है:-

निजी चिकित्सालय:-

1. पहचान पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर जाकर "निजी चिकित्सालय लॉगिन आवेदन पर क्लिक" करेंगे।
2. निजी चिकित्सालय अपने जिले का चयन कर ग्रामीण/शहरी को चुनकर पंचायत समिति/शहरी निकाय के नाम का चुनाव कर रजिस्ट्रार के विकल्प में जाकर अपने रजिस्ट्रार को चुनेंगे।
- 3- सूचनादाता (नि०चि० का नोडल अधिकारी) आधार सत्यापन के बाद निजी चिकित्सालय का नाम, मोबाईल न० सत्यापन, फोन न० एवं ई-मेल डालकर सूचना को SAVE कर जिला रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा।

जिला रजिस्ट्रार:-

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) लॉगिन आई.डी रिपोर्ट का अवलोकन कर पूर्व में लॉगिन आई.डी. जारी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) लॉगिन आई.डी हेतु प्राप्त अस्पताल के आवेदन के संबंध में पंचायत समिति/शहरी निकाय का नाम एवं रजिस्ट्रार की वस्तुस्थिति के संबंध में सत्यता की जांच करेंगे।
3. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) पूर्ण संतुष्टी उपरान्त निजी चिकित्सालय की लॉगिन आई.डी. जारी करेगा।

सभी जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) अपने जिले के समस्त निजी चिकित्सालयों को पहचान पोर्टल पर आवेदन करवाकर यूजर आई.डी एवं पासवर्ड जारी करवाना सुनिश्चित करें।


(डॉ.ओम प्रकाश बेरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
दिनांक: 27.07.2022

क्रमांक:- एफ13/1/3/जनाधार/वीएस / डीईएस/2020/671

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला समस्त।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी योजना भवन जयपुर।


संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान
State Level Banker's Committee, Rajasthan
ज.अं./एसएलबीसी/2023-24/336


संयोजक
Convenor
दिनांक: 14-06-2023

नियंत्रक, समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान
समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक राजस्थान
महोदय,

विषय: ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को अनुमान्य किया जाने बाबत।

विषयांतर्गत संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (सं.वि.) विभाग, राजस्थान सरकार ने मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर से प्राप्त सूचना के संदर्भ में पत्रांक प.25(1) आयो/सं. वि/2023 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंकिंग कार्यालयों द्वारा ई-साईन/डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर एवं पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी प्रकार के मानक तरीकों (Hologram, Water Mark, Bar Code, etc) के उपयोग को मान्यता (Recognition) प्रदान की गई है एवं इस संबंध में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 एवं प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग के परिपत्र क्रमांक 22519 दिनांक 02.06.2015 द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त पत्र आपके सुलभ संदर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न कर प्रेषित कर रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु स्वतः ही स्पष्ट है।

उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन जारी साईन/डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्रों का सत्यापन वेबपोर्टल पहचान (Pehchaan-raj-nic-in) के द्वारा किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित करें कि ई-साईन/डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र वैध दस्तावेज जिनको आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर भौतिक प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जावे।

उपरोक्त आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

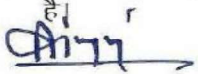
भवदीय

-ह.-

(आलोक सिंघल)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान

✓ प्रतिलिपि: संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (सं.वि.) विभाग, राजस्थान सरकार को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।



(आलोक सिंघल)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान

संलग्न: यथोक्त

एसएलबीसी राजस्थान: छठा तल, बडौदा भवन, प्लॉट नं. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर-302018 SLBC Rajasthan, 6th Floor, Baroda Bhawan, Plot No- 13, Airport Plaza, Durgapura, Tonk Road, JAIPUR-302018 Phone: 0141-2727119, 2727126, 2727114. e-mail: sibc.rz@bankoffbaroda.com website: www.slbcrasthnan.com



F. No. 1/7/2011- VS-CRS
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, Civil Registration System, 2-A, Mansingh Road, New Delhi-110011
E-mail-drg-crs.rgi@nic.in

Dated 03.11 2023

CIRCULAR

To

All Chief Registrar of Births & Deaths

Subject: Clarification on making / changing entries in birth record of children taken on adoption.

Madam/Sir,

Please refer to this office circular of even number dated 31.08 2018 vide which instructions were issued taking into consideration the Adoption Regulations, 2017 of Central Adoption Resource Authority (CARA) that production of adoption order of court is sufficient for making / changing entries in the birth record of children taken on adoption through institutions/agencies.

2. In this context, you may be aware that in supersession of the Adoption Regulations, 2017, the CARA under Ministry of Women and Child Development has notified the Adoption Regulations 2022 on 23.09.2022. Now, specifically, in view of the regulation no. 40 of Adoption Regulations 2022, is further clarified that in cases of institutional adoptions through Specialized Adoption Agency and also in case of relative/step adoptions under Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021), the concerned Registrar shall register or make necessary changes in the birth record of adopted child, incorporating the names of the adoptive parents as parents and the date of birth of the child as mentioned in the **adoption order issued by the District Magistrate.**

3. Taking into consideration the Adoption Regulations 2022, you are requested to direct all the concerned registration authorities in the State to issue birth certificate within five days from the date of receipt of the application in favour of an adopted child from the Specialized Adoption Agency or adoptive parents in case of Adoptions which took place under JJ Act 2015 (amended in 2021) As mentioned in the said Regulations, no physical presence of the adoptive parents shall be required for issue of such certificate.

4. Further, in reference to this office circular of even no, dated 15.05.2015, it is once again Informed that in case of non-institutional adoptions i.e. adoption within relatives under the provisions of Hindu Adoption and Maintenance Act (HAMA), 1956, the need for production of **adoption deed** i.e. document registered under any law and signed by both parties is sufficient for the concerned Registrar to register the birth or make necessary changes in the birth record of the child taken on adoption.

5. In this context, it is pertinent to mention that the order for delayed registration under Section 13(3) of the Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969 (amended in 2023) shall not be required in cases of institutional adoptions and in case of relative / step adoptions under JJ Act, 2015 (amended in 2021), as in these cases adoption order has already been issued by the District Magistrate. However, in case of non-institutional adoptions under HAMA, 1956, if an adopted child is more than one year old and his/ her birth is not-found registered earlier then as per the prescribed procedure of section 13 (3) of the RBD Act, 1969 (amended in 2023), an order of District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by an Executive Magistrate authorised by the District Magistrate should also be obtained before registering the said event.

6. This office may be apprised about the action taken in this regard,

Yours faithfully



(A.K. Pandey)
Joint Director (CRS)

)

Copy forwarded to:

1. All DCO's for information and necessary action.
2. The Chief Executive Officer (CEO), Central Adoption Resource Authority (CARA), West block- 8, wing-2, 2nd floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 in reference to DO. Letter no. CARA-Misc/293/108245 dated 19th September, 2023.



(A.K. Pandey)
Joint Director (CRS)

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

"Ensure Registration of Every Birth and Death"



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक एफ13/1/3/वे पो/वीएस/डीईएस/2020/13

दिनांक 05/01/2024

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम समस्त ।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक समस्त

विषय:- पहचान पोर्टल में जन्म / मृत्यु की घटना दिनांक में संशोधन के लिए प्रुफ (Proof) अपलोड करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पहचान पोर्टल पर रजिस्ट्रार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन से संबंधित संशोधन की प्रविष्टियों जिला रजिस्ट्रार को अनुमोदन हेतु भिजवाई जाती है तथा जिला रजिस्ट्रार के अनुमोदन पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक संशोधन किये जाते हैं। परन्तु समीक्षा उपरान्त देखने में आया है कि पहचान पोर्टल में जन्म/मृत्यु की घटना दिनांक में संशोधन के लिए प्रुफ (Proof) अपलोड करने की सुविधा नहीं होने कारण किन्ही प्रकरणों में रजिस्ट्रार द्वारा जन्म/मृत्यु की घटना की प्रविष्टियों में भी संशोधन कर लिया जाता है जो की काफी गम्भीरता का विषय है।

यह उल्लेखनीय है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रारों में प्रविष्टियां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु जो भी हो. के तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है। उपर्युक्त तथ्य को मध्य नजर रखते हुये जन्म तिथि में शुद्धि कि अनुमति नही होनी चाहिये जब तक की रजिस्ट्रार इस बात से सन्तुष्ट नही हो जाता है कि जन्म/मृत्यु तिथि में घटना की रिपोर्टिंग / रजिस्ट्रीकरण के समय पर एक कपट पूर्ण प्रविष्टि की गई थी।

वर्तमान में संशोधन की प्रविष्टियों को अनुमोदन अथवा खारिज करने के लिए प्रुफ (Proof) अपलोड करने की सुविधा नहीं होने के कारण जिला रजिस्ट्रारों की सुविधा हेतु पहचान पोर्टल पर जन्म-मृत्यु की घटना (संस्थानिक / गैर-संस्थानिक) की दिनांक में संशोधन के लिए प्रुफ (Proof) अपलोड करने के संबंध में निम्नानुसार विकल्प की सुविधा प्रारम्भ की गई है:-

(1) संस्थानिक घटना की स्थिति में:- जन्म-मृत्यु की घटना संस्थानिक होने की स्थिति में चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी के चिकित्सक के हस्ताक्षर वय मोहर द्वारा जिला रजिस्ट्रार टिकट या चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी दस्तावेज को अपलोड करने की सुविधा



Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa
Designation : Director and Joint
Secretary
Date: 2024.01.04 11:20:29 IST
Reason: Approved

(2) गैर-संस्थानिक घटना की स्थिति में:- जन्म अथवा मृत्यु की घटना गैर-संस्थानिक होने की स्थिति में घटना की सत्यता के संबंध में ठोस साक्ष्य/दस्तावेज जिला रजिस्ट्रार को प्राप्त होने की स्थिति में केवल जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा ही घटना की दिनांक में संशोधन के लिए सुविधा।

अतः उपरोक्त सुविधा का विकल्प पहचान पोर्टल पर विकसित किया जाकर यह भी निर्देशित किया जाता है कि जन्म अथवा मृत्यु की घटना की दिनांक में संशोधन जिला रजिस्ट्रार द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 और राज्य नियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा स्वयं की पूर्ण संतुष्टि उपरांत किए जाएंगे।

(भंवर लाल बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5274995

Digitally signed by Bhawar Lal Bairwa
Designation : Director and Joint
Secretary
Date: 2024.01.04 12:20:29 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

क्रमांक:- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2023/617

दिनांक:- 03.07.2024

ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी,
ब्लॉक समस्त।

विषय:- जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों के लिए निर्देश।

जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन कार्य को आमजन के लिए अधिक सुगम बनाने, कार्य में समरूपता लाने एवं समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके इस उद्देश्य से ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ब्लॉक में रजिस्ट्रीकरण कार्य के त्वरित निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया हुआ है। इन ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को उनके क्षेत्र की अधिकारिता अन्तर्गत रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के पासवर्ड री-सेट करने, पहचान पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड करवाने के उपरान्त इसका अनुमोदन एवं पंजीकृत घटनाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन के लिए अधिकृत किया हुआ है। साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के भी अधिकार भी दिये गये हैं।

आमजन की सुविधा हेतु वेब पोर्टल "पहचान" के माध्यम से जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का ऑनलाईन कार्य किया जा रहा है और ई-साईन युक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आमजन द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों में आंशिक संशोधन हेतु रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं ग्राम विकास अधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त आवेदन ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है एवं इनके द्वारा अपनी अनुशंसा सहित संशोधन के आवेदन को जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं संयुक्त/उपनिदेशक को अग्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा संशोधन हेतु अनुमोदन किया जाता है। जिसके पश्चात रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा प्रमाण पत्रों में संशोधन किया जाता है।

परन्तु निरीक्षण एवं समीक्षा उपरांत संज्ञान में आया है कि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों के पास संशोधन की रिक्वेस्ट भिजवाये जाने पर उनके द्वारा प्राप्त रिक्वेस्ट को स्वयं के स्तर पर लम्बित रखा जाता है और अनुशंसा सहित जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अग्रेषित नहीं किया जाता है, जिससे समय पर प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है।

RajKaj Ref
8466021

अतः जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन कार्य को अधिक सुगम बनाने और कार्य के त्वरित निष्पादन हेतु समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे:-

1. रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) से प्राप्त संशोधन की रिक्वेस्ट का निस्तारण हेतु अविलम्ब जिला रजिस्ट्रार को प्रेषित करना और अनुमोदन उपरांत रजिस्ट्रार से समन्वय कर प्रकरण का 3 दिवस में निस्तारण करवाना।
2. ब्लॉक स्तर पर प्राप्त संशोधन की रिक्वेस्ट, निस्तारण, पेंडिंग का दिनांकवार रजिस्टर संधारित करना।
3. पहचान पोर्टल पर लम्बित ई-साईन एवं अन्य पेंडेंसी का निस्तारण करवाना।
4. विशिष्ट प्रकरणों में कारण सहित जनाधार शिथिलता प्रदान करना एवं दिनांकवार रजिस्टर संधारित करना।
5. रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पहचान पोर्टल पर पासवर्ड री-सेट करना।
6. रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पहचान पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर हेतु डोंगल का सत्यापन करना।
7. जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के प्रपत्रों को आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रारों को समय पर उपलब्ध कराना।
- 8- राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) पर प्राप्त शिकायतों का तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर L-1 स्तर पर ही निस्तारण करवाना।
9. अपने क्षेत्र में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की आवश्यकता, महत्ता एवं लाभों की जानकारी से आमजन को अवगत कराना।

संलग्न:- मॉनिटरिंग प्रपत्र

(नवीन जैन)

शासन सचिव

आयोजना एवं सांख्यिकी

क्रमांक:- एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2023/618

दिनांक:- 03.07.2024

प्रतिलिपी :- जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं संयुक्त/उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

शासन सचिव

RajKaj Ref
8466021

Page 2 of 2

Document certified by NAVEEN
JAIN <n_j2@rediffmail.com>.
Digitally Signed by NAVEEN JAIN
Designation: Secretary To
Government
Date :03-07-2024 10:23:43

जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन की मॉनिटरिंग हेतु प्रपत्र
 ब्लॉक का नाम..... जिला.....

क्र. सं.	आवेदन प्राप्त होने की दिनांक	संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन का विवरण	आवेदन जिला स्तर पर अग्रेषित करने की दिनांक	आवेदन निस्तारण की दिनांक	निस्तारण नहीं होने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

**राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग**

क्रमांक:—एफ / 13 / 1 / 3 / आर.जी.आई. / वीएस / डीईएस / 2017 / 73

दिनांक:— 30.01.2025

**अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
जिला कलेक्टर, समस्त।**

विषय:— जन्म/मृत्यु की एक वर्ष से अधिक विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए
कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के संबंध में।

संदर्भ— राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी.), जयपुर से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 22.
01.2025 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी.), जयपुर से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 22.01.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार एक साल से अधिक पुरानी पंजीकृत जन्म/मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण किये जाने के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम 9 (3) के तहत जारी किये जाने वाले आदेश/अनुज्ञा में **“बाद जॉच सही पाये जाने पर”** अथवा **“जॉच पश्चात्”** इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रजिस्ट्रारों को कंडीशनल आर्डर/सशर्त आदेश अथवा अनिर्णयात्मक आदेश देते हैं और शपथपत्र को ही घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन मानते हैं। जबकि घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन किये जाने हेतु ही घटना का वर्णन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, का पत्रांक 1/20/2002— जीवनांक (सी. आर.एस.) राज. दिनांक 5.11.2004 (प्रति संलग्न) एवं इस विभाग के पत्रांक 11493—525 दिनांक 08.05.2012 (प्रति संलग्न) के द्वारा पूर्व में भी स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है

उक्त क्रम में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं जो निम्नानुसार है— **Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after one year of its occurrence, shall be registered only on an order made by a District Magistrate or Sub- Divisional Magistrate or by an Executive Magistrate, having jurisdiction over the area where the birth or death has taken place, after verifying the correctness of the birth or death and on payment of such fee as may be prescribed.**

अतः आपके जिले के समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार को उपरोक्तानुसार पुनः निर्दिष्ट कर पाबन्द करावें कि एक साल से अधिक पुरानी जन्म/मृत्यु की घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात् ही संबंधित रजिस्ट्रार को घटना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए निर्णायक एवं स्पष्ट आदेश देवें न कि कंडीशनल/सशर्त आदेश।

भवदीया,



(अनुपमा जोरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव

आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग

क्रमांक:—एफ/13/1/3/आर.जी.आई./वीएस/डीईएस/2017

दिनांक:—

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

- 1- जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं उप/संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



विशिष्ट शासन सचिव



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक:—एफ13/1/1/आरजीआई/वीएस/डीईएस/2023/50

दिनांक:— 24.01.2025

शासन सचिव
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:— आधार कार्ड में अंकित जन्म दिनांक में परिवर्तन/संशोधन के संबंध में।
संदर्भ:— जिला कलक्टर दौसा का पत्रांक 155 दिनांक 16.01.2025।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में निवेदन है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभारी अधिकारी (संयुक्त निदेशक), यू.आई.डी.आई द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.10.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा आधार कार्ड में जन्मतिथि में एक से अधिक बार अद्यतन / संशोधन हेतु वैध जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश (विलम्बित जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में) एवं परिवादी की स्व-घोषणा के साथ आवेदन करने हेतु लिखा गया है जो कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, संशोधित अधिनियम 2023 एवं राज्य नियम 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं उक्त आदेशों से आमजन को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त क्रम में राज्य में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन कार्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 एवं राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। उक्त अधिनियम/नियमों में निर्धारित समयावधि के बाद (विलम्बित) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावधान निहित किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (2) एवं 9 (2) के अनुसार विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के प्रकरणों में 30 दिन से एक वर्ष की विलम्बित अवधि के लिए शपथ पत्र पर जिला रजिस्ट्रार (शहरी क्षेत्र)/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (ग्रामीण क्षेत्र) की अनुज्ञा एवं **जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(3) के अनुसार** 1 वर्ष से अधिक की विलम्बित अवधि के पंजीकरण के लिए शपथ पत्र पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा प्रस्तुत करनी होती है जिसके आधार पर संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 में विलम्बित श्रेणी के अंतर्गत धारा 13(2) एवं धारा 13 (3) नवीन प्रावधान किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं—

योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/ऑफिस नं. 5167113
ई-मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

धारा 13 (2)—जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के तीस दिन के पश्चात किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह केवल जिला रजिस्ट्रार या इस निमित्त विहित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा पर और निर्धारित विलंब फीस के संदाय पर तथा प्रारूप सं. 14 में स्व-अनुप्रमाणित दस्तावेज को इलैक्ट्रानिकी रूप से या अन्यथा प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

धारा 13 (3)—जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है वह, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले केवल जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर और निर्धारित विलंब फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी

अतः अनुरोध है कि आधार में जन्म तिथि में संशोधन/अद्यतन के संबंध में नियमानुसार जारी जन्म प्रमाण पत्रों के साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश (विलम्बित जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में) एवं परिवादी की स्व-घोषणा पुनः नहीं लिये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करवाने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(अनुपमा जोरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव

आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग

क्रमांक:-एफ13/1/1/ आरजीआई/वीएस/डीईएस/2023/50

दिनांक:- 24.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस), भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली।
2. जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), जिला दोसा।

विशिष्ट शासन सचिव

योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/ऑफिस नं. 5167113

ई-मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

Document certified by Anupama Jorwal
<anupamajorwal@gmail.com>

Digitally Signed by Anupama
Jorwal
Designation : Special Secretary To
Government
Date :24-01-2025 12:45:00



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक: एफ/13/1/3/आर.जी.आई./वीएस/डीईएस/2017/148

दिनांक: 19.02.2025

जिला कलेक्टर एवं,
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
समस्त ।

विषय:- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025 के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (प्रति संलग्न) भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं और इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 दिनांक 07.02.2025 (प्रति संलग्न) को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसमें मुख्य संशोधन निम्नानुसार है:-

- 1- **नियम 9 (2)** के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी ।
- 2- **नियम 9 (2) एवं (3)** के अन्तर्गत जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 1 रुपये विलम्ब शुल्क के स्थान पर 20 रुपये विलम्ब शुल्क देय होगा तथा 30 दिवस पश्चात परंतु 1 वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रुपये विलम्ब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपये विलम्ब शुल्क देय होगा ।
- 3- **नियम 9 (2)** में जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है ।
- 4- **नियम 16 (2)** में चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक विलम्ब किये जाने पर अथवा सूचना समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर अब 250 रुपये एवं अधिकतम 1000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है ।
- 5- **नियम 16 (क)** में अपील का प्रावधान किया गया है, यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार / जिला रजिस्ट्रार के कार्य या किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपील कर सकता है ।

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/
ई-मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

संख्या-4क अनिवार्य रूप से जारी कर मृतक के परिजन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 के अर्न्तगत संशोधित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विनेश सिंघवी)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ/13/1/3/आर.जी.आई./ वीएस/डीईएस/2017/148 दिनांक:- 19.02.2025
प्रतिलिपी निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त नगर-निगम, समस्त।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।
3. नोडल अधिकारी (जन्म-मृत्यु) एवं ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी समस्त।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
जीवनोपयोग शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/
ई-मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

Document certified by VINESH SINGHVI
<Aao.des@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Vinesh Singhvi
Designation: Director and Joint
Secretary
Date :19-02-2025 12:49:41



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक:—एफ / 13 / 1 / 3 / आर.जी.आई. / बीएस / डीईएस / 2017 / 254

दिनांक:—02.04.2025

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं
संयुक्त / उप निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
समस्त ।
2. आयुक्त, नगर निगम एवं
जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु)
समस्त ।

विषय:— सरकारी अस्पतालों एवं प्राइवेट अस्पतालों (सूचक के रूप में) सहित सभी पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जन्म एवं मृत्यु की समस्त घटनाओं की ससमय रिपोर्टिंग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत, जीवनांक प्रभाग (सी.आर.एस.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा परिपत्र सं० 11 / 04 / 2020—VS (CRS) दिनांकित 17—03—2025 (प्रति संलग्न) को, जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के शत प्रतिशत पंजीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को सभी पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु परिचालित किया गया है।

1. सभी सरकारी अस्पतालों को अपने संस्थान में होने वाली जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को 21 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने हेतु निर्देशित करें।
2. सभी प्राइवेट अस्पतालों को उनके संस्थान में होने वाली जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को 21 दिन के अंदर संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किए जाए कि नवजात / मृतक के परिजनों को स्वयं से घटना का पंजीकरण करने हेतु रजिस्ट्रार के पास जाने के लिए न कहा जाये।
3. सभी रजिस्ट्रारों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाये कि उनके क्षेत्राधिकार में सभी प्राइवेट अस्पताल सूचक के रूप में दर्ज हो एवं अस्पताल में होने वाली घटनाओं को 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचित करें। साथ ही, सभी जिला रजिस्ट्रार यह पंजीकरण ईकाईवार प्राइवेट अस्पतालों की सूची संधारित करें, जिससे कि सभी संस्थागत घटनाओं की रिपोर्टिंग की पूर्ण रूप से मॉनीटरिंग की जा सके।

4. समस्त रजिस्ट्रार को यह निर्देशित किया जाये कि घटना की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही करें एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 12 की अनुपालना में, पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिकतम 7 दिनों के अंदर सूचना प्रदाता को जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करें।
- 5- सरकारी अस्पतालों एवं प्राइवेट अस्पतालों (सूचक के रूप में) सहित सभी पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का 21 दिन की निर्धारित अवधि में रिपोर्टिंग / पंजीकरण को अंतर्विभागीय समन्वय समिति (IDCC) एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) की बैठक में विचारणीय बिन्दु के रूप में शामिल किया जाए, जिससे पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जन्म एवं मृत्यु की समस्त घटनाओं की ससमय रिपोर्टिंग हेतु जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सकें।
- 6- उल्लेखनीय है कि विगत IDCC बैठक दिनांक 26.12.2024 में भी उपरोक्त बिन्दुओं पर व्यापक विमर्श हुआ था एवं निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान द्वारा इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने तथा समस्त जिलों से अनुपालना प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र 2 सप्ताह में भिजवाने का श्रम करावे कि "उनके जिले में सभी प्राइवेट अस्पताल जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्टिंग हेतु सूचक के रूप में दर्ज है तथा यथालागू नियमित रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त पत्र के बिन्दुओं की पूर्ण पालना के साथ ही अनुपालना रिपोर्ट का प्रमाण-पत्र 2 सप्ताह में भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विनेश सिंघवी)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Document certified by VINESH SINGHVI
<Aao.des@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Vinesh Singhvi
Designation: Director and Joint
Secretary
Date :01-04-2025 06:05:07



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक: एफ-13/4/0/वी.एस./ डीईएस/2020/305

दिनांक: 24.04.2025

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
जिला कलेक्टर,
समस्त ।

विषय- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) एक वर्ष
से अधिक विलंबित पंजीकरण के लिए आदेश जारी करने वाले प्राधिकृत
अधिकारी के संबंध में।

संदर्भ- भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय का पत्र f- No /4/2020-VS (CRS)/2162
दिनांक 07.04.2025 क्रम में।

महोदय,

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (3) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 9(3) के प्रावधान के अनुसार, "किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी विलंबित इतना इसके होने के एक वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है, केवल उस क्षेत्र जहां जन्म या मृत्यु हुई है. पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उप-खंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश और एक सौ रुपये की विलंब फीस के संदाय पर ही किया जायेगा।"

उक्त क्रम में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता (CPC) 1973 की धारा 20 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाने से है।

अतः अनुरोध है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (3) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 9(3) के अंतर्गत अनुज्ञा जारी करने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट केवल अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही नामित किये जाने का श्रम करावे।

भवदीय,

(डा सुदेश कुमार)

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

क्रमांक:-एफ-13/4/8/वी.एस./ डीईएस/2020/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (सीआरएस), भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जयपुर।
3. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं संयुक्त/उप निदेशक, विभाग समस्त।

Signature valid

Digitally signed by Sudesh Kumar
Designation: Joint Director
Date: 2025.04.24 12:47:25 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक:—एफ—13/4/8/वी.एस./ डीईएस/2020/457

दिनांक 10.06.2025

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
आयुक्त नगर-निगम समस्त ।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
संयुक्त/उपनिदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
जिला समस्त ।

विषय:— जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित)
30 दिवस से एक वर्ष तक विलंबित पंजीकरण के लिए अनुज्ञा जारी
करने के संबंध में।

महोदय,

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (2) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 9(2) के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञा जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है और इसके अनुसरण में शहरी क्षेत्र में जिला रजिस्ट्रार एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा जारी की जा रही है। परन्तु निदेशालय से विभाग के अधिकारियों द्वारा जिलों पर राजकीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की वर्तमान में जिलों की पंचायत समितियों में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा हेतु जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की विलंबित इतिला (30 दिवस से एक वर्ष) में आवेदको से लिए जाने वाले प्रारूप एवं दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई है।

उपरोक्त क्रम में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (2) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 9(2) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में जिला रजिस्ट्रार एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा जारी करने से पूर्व आवेदक से निम्न दस्तावेज लिए जाने है।

- आवेदक का जन्म/मृत्यु की घटना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र
- अनुज्ञा हेतु शपथ पत्र (पाई पेपर पर नोटेरी सत्यापित नहीं)
- विलिम्बत इतिला देने के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (प्ररूप संख्या—14)
- रजिस्ट्रार द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (प्ररूप संख्या—10)
- 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रमाणीकरण मय उनकी पहचान सम्बन्धित दस्तावेज

या

योजना मवन तिलक मार्ग, जयपुर
जीपनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/ऑफिस नं. 5167113
ई-मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

- जन्म-मृत्यु की घटना का सत्यापन ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा (जाँच रिपोर्ट)

या

- जन्म-मृत्यु की घटना का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच एवं वार्ड पंच द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा (जाँच रिपोर्ट)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुज्ञा जारी करने से पूर्व उक्तानुसार आवेदक से दस्तावेज प्राप्त करेंगे और दस्तावेजों की एवं तथ्यों से पूर्ण संतुष्टि उपरान्त जन्म/मृत्यु की अनुज्ञा जारी कर रिकार्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(विनेश सिंघवी)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ-13/4/8/वी.एस./डीईएस/2020/457

दिनांक: 10.06.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर समस्त ।
2. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अनुज्ञा जारी करने से पूर्व उक्तानुसार आवेदक से दस्तावेज प्राप्त करेंगे और दस्तावेजों की एवं तथ्यों से पूर्ण संतुष्टि उपरान्त जन्म / मृत्यु की अनुज्ञा जारी कर रिकार्ड संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/ऑफिस नं. 5167113
ई-मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

Document certified by VINESH SINGHVI
<Aao.des@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Vinesh Singhvi
Designation: Director and Joint
Secretary
Date :09-06-2025 06:26:06

RajKaj Ref No.: 15791224

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-13) विभाग

क्रमांक प. 6 (19) गृह-13/2006
आयुक्त, मुख्यालय
एवं नोडल अधिकारी विवाह पंजीयन,
नगर निगम जयपुर।

जयपुर, दिनांक: 03.11.2011

विषय:-विवाह के अनिवार्य पंजीयन को संबंध में विभिन्न प्रकरण विन्दुओं पर
चाहे गये मार्गदर्शन

संदर्भ-आपके कार्यालय पत्र क्रमांक एफ 25/ननिज/ज.मृ./2011/1327
दिनांक 09.09.2011 एवं क्रमांक 1419 दिनांक 19.10.2011 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत पत्र में अंकित विवाह के अनिवार्य पंजीयन के संबंध में विभिन्न प्रकरण विन्दुओं, जिनके अन्तर्गत विवाह पंजीयन के संबंध में वांछित मार्गदर्शन मांगा गया है. के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसफर पिटीशन (सिविल) राख्या 291/2005 श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार के अन्तर्गत प्रदत्त निर्णय/आदेश दि. 14.02.2006 की त्वरित अनुपालना में गृह विभाग की ओर से दिनांक 22.05.2006 को विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये, जिनके अनुसार राज्य में सम्पन्न होने वाले विवाहों के अनिवार्य पंजीयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी तथा इसके पश्चात् इन दिशा-निर्देशों की विधिक रचना के रूप में अधिनियम "राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009" विनिर्मित किया जाकर राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11.09.2009 को प्रकाशित किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत वांछित नियम बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम "राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009" की धारा 3 के अन्तर्गत निहित प्रावधान अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा।

इसी सन्दर्भ में नगर निगम जयपुर द्वारा प्रेषित विभिन्न प्रकरण विन्दुओं के क्रम में राज्य में अनुष्ठापित विवाहों के संबंध में अपवाद स्वरूप विन्दुओं का वांछित रपष्टीकरण इस प्रकार से हैं-

1. उक्त अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान अंकित हैं कि (अधिनियम का कतिपय विवाहों पर लागू न होना) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनिराग 1872. (1872 का केन्द्रीय अधिनियम, सं016), पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम, सं0 3) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं042) के अधीन अनुष्ठापित विवाहों का इस अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं होगा। वस्तुतः इन तीनों अधिनियम के अन्तर्गत सम्पन्न विवाहों के पंजीयन की अनिवार्य व्यवस्था निहित है। जबकि अन्य विवाह अधिनियमों में विवाह पंजीयन को ऐच्छिक अधिशाषित किया हुआ है।
2. उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत स्पष्ट अंकित है कि पक्षकार या जहां पक्षकार इक्कीस वर्ष के न हो. वहां पक्षकारों के माता-पिता या यथास्थिति संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की अवधि में संबंधित रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
3. वैवाहिक पक्षकार के किसी भी जाति अथवा धर्म का होने पर, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 20 में वर्णित अधिनियमों को छोड़कर अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित करता है तो विवाह पंजीयक आवेदकों से आवश्यक साक्ष्य, शपथ-पत्र एवं स्वयं की सतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
4. विभिन्न धर्मों के विवाह अधिनियम, जिनमें विवाह के पंजीयन की अनिवार्य व्यवस्था नहीं होकर ऐच्छिक है, के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित होने की विभिन्न प्रथाएं/ रीतियां प्रचलित हैं. जिसमें आर्य समाज द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले विवाह भी सम्मिलित है। ऐसे अनुष्ठापित विवाहों को भी उक्त अनिवार्य

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत विवाह पंजीयक आवश्यक साक्ष्य, शपथ-पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

ऊपर वर्णित विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम "राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009" स्वतः स्पष्ट है एवं यदि इस अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों को निहित भावार्थ सहित अध्ययन करने पर व्यक्त की गयी अन्वीक्षाओं (Quaries) का स्वतः समाधान हो जाता। तथापि नगर निगम, जयपुर से प्राप्त पत्र में अंकित प्रकरण बिन्दुओं का वांछित बिन्दुवार वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

क्र.स.	बिन्दू	वांछित सूचना
1	हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन कौन-कौन से विवाहों का पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जाना है।	हिन्दु विवाह अधिनियम के संबंध में प्रशासनिक विभाग विधि विभाग है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीयन अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर नामांकित है।
2	आर्य समाज में सम्पन्न विवाहों का पंजीयन नगर निगम, जयपुर द्वारा किया जावे या नहीं अगर किया जावे तो क्या आर्य समाज में सम्पन्न सभी विवाहों के लिये पंजीयन से पूर्व संबंधित पुलिस अधीक्षक/धानाधिकारी से दोनो प्रार्थीगण की संयुक्त मसलन की जांच एवं आर्य समाज में शादी सम्पन्न कर अंकित पते पर बतौर पति-पत्नि एक साथ निवास करने के संबंध में जांच रिपोर्ट अनुकूल आने पर ही किया जायें। आर्य समाज में सम्पन्न होने वाले विवाह कौनसे अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं कृपया स्पष्ट करावें।	विभिन्न धर्मों के विवाह अधिनियम, जिनमें विवाह के पंजीयन की अनिवार्य व्यवस्था नहीं होकर ऐच्छिक है, के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित होने की विभिन्न प्रथाएं / रीतियां प्रचलित हैं। जिसमें आर्य समाज द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले विवाह भी सम्मिलित हैं। ऐसे अनुष्ठापित विवाहों को भी उक्त अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत विवाह पंजीयक आवश्यक साक्ष्य शपथ-पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
3	मुस्लिम विवाहों का विवाह पंजीयन किया जाये या नहीं अगर किया जाये तो आवेदकों से क्या-क्या कार्यवाही करवाई जानी है। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) में मुस्लिम विवाहों का विवाह पंजीयन किस प्रकार किया जाना है या नहीं किया जाना है इसका कोई विवरण नहीं है।	वैवाहिक पक्षकार तो किसी भी जाति अथवा धर्म का होने पर, यदि यह उक्त अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 20 में वर्णित अधिनियमों को छोड़कर अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित करता है (जिसमें मुस्लिम विधि के अन्तर्गत अनुष्ठापित विवाह भी सम्मिलित हैं), तो विवाह पंजीयक आवेदकों से आवश्यक साक्ष्य, शपथ-पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
4	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 का अवलोकन करावे विवाह के रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य होता-इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा। इस कारण विदेशी नागरिकों जिसमें पति-पत्नि दोनों या पति एवं पत्नि दोनों में से एक विदेशी नागरिक होने पर विवाह पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जावे या नहीं अगर नगर निगम द्वारा नहीं किया जावे तो इनका विवाह पंजीयन कहाँ होगा एवं नगर निगम द्वारा किया जाये तो आवेदकों से क्या-क्या	अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 3 में निहित प्रावधान अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा। स्वतः स्पष्ट है। विदेशी नागरिकों, जिसमें पति-पत्नि दोनों या पति एवं पत्नि दोनों में से एक विदेशी नागरिक होने पर अनुष्ठापित होने वाले विवाह विशेष विवाह की श्रेणी में आते हैं, जिन पर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 लागू होगा, जिसका प्रशासनिक विभाग विधि विभाग है एवं जिला कलेक्टर जिला विवाह पंजीयन अधिकारी है।

	कार्यवाही करवाई जानी है एवं राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक क्या कार्यवाही की जानी है।	
5	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 8 का अवलोकन करावे ज्ञापन प्रस्तुत करने का कर्तव्य (1) पक्षकार, या जहां पक्षकार इक्कीस वर्ष के न हो वहा पक्षकारों के माता-पिता या, यथास्थिति, संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर, उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होंगे. जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या दोनों पक्षकारों । उनमें से कोई निवास करता है। इसका आशय यह हुआ कि अगर पक्षकार 21 वर्ष से कम होने पर भी विवाह पंजीयन किया जाये लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि पति-पत्नि दोनों या उनमें से कोई एक शादी के समय नाबालिग यानि 10 वर्ष से कम हो तो विवाह पंजीयन किया जाये या नही स्पष्ट करावे एवं राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक क्या कार्यवाही की जानी है।	ऐसे आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात पूर्ण दस्तावेजों की जाच करने एवं विवाह पंजीयक की संतुष्टि पर विवाह पंजीयन कर सकेगा। लेकिन साथ ही विवाह पंजीयक को ऐसे पक्षकारों के माता-पिता / संरक्षक एवं अन्य के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वांछित कार्यवाही करने हेतु जिला विवाह पंजीयन अधिकारी जिला कलेक्टर) को वांछनीय है। यद्यपि ऐसे अनुष्ठापित विवाह के पक्षकारों के नाबालिग होने की दशा में पंजीयन पर रोक नहीं है। राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 6(19) गृह-13/2006 दिनांक 14.12.2010 के अनुसार कार्यवाही की जानी है।
6	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 10 का अवलोकन करावे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्ण अनुष्ठापित रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम में अतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्राग्भ के पूर्व अनुष्ठापित किसी भी विवाह का धारा 7 के अधीन चिहित प्रारूप में ज्ञापन प्रस्तुत करने और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाये, रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा। इसमें किसी भी विवाह का इसमें कौन-कौन से विवाहों का पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जाना स्पष्ट करावे एवं राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक क्या कार्यवाही की जानी है।	विभाग द्वारा पूर्व में प्रसारित दिशा-निर्देश दिनांक 22.05 2000 एवं इसके पश्चात लागू राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 में स्पष्ट अंकित नहीं है। अर्थात् अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 20 में वर्णित जिन विवाह अधिनियमों में विवाह पंजीयन की प्रक्रिया एवं प्रावधान अनिवार्य होना अन्तर्निहित है. उनसे संबंधित विवाहों का इस अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं किया जाना है।
7	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 20 का अवलोकन करावे अधिनियम का कतिपय विवाहों पर लागू न होना यह अधिनियम भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872. (1872 का केन्द्रीय अधिनियम, सं016), पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम, सं0 3) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं042) के अधीन अनुष्ठापित विवाहों पर लागू नहीं होगा।	यह धारा स्वतः स्पष्ट है। इन अधिनियमों विवाह पंजीयन की प्रक्रिया एवं प्रावधान अनिवार्य होना विद्यमान हैं. जिनके तहत विवाह का । पंजीयन कराया जाता है। इन अधिनियमों का प्रशासनिक नियन्त्रण विधि विभाग का है एवं संबंधित जिला कलेक्टर्स को जिला विवाह पंजीयन अधिकारी नामांकित किया हुआ है।

	इस कारण इन। अधिनियमों के अन्तर्गत होने वाले विवाहों का पंजीयन नगर निगम द्वारा नहीं किया जाना है इन अधिनियमों में कौन-कौन से विवाह आते हैं एवं इनका पंजीयन कहा होगा यह स्पष्ट करावे एवं राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक क्या कार्यवाही की जानी है। इसके अलावा अन्य कोई विवाह का अधिनियम हो तो उस अधिनियम में कौन कौन से विवाह आते हैं एवं उनका विवाह पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जाना है या नहीं स्पष्ट करावे।	उक्त अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अतिरिक्त अन्य किसी विवाह अधिनियम एवं उसके प्रावधानों के सम्बन्ध में अग्रिम किसी भी प्रकार की जानकारी प्रदान करने हेतु विधि विभाग ही सक्षम है।
8	पति-पत्नी अलग अलग जाति और अलग धर्म के होने पर इनका नगर निगम द्वारा विवाह पंजीयन किया जावे या नहीं।	विवाहिक पक्षकार के किसी भी जाति अथवा धर्म का हाने पर, यदि वह उक्त अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 20 में वर्णित अधिनियमों को छोड़कर अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित करता है तो विवाह पंजीयक आवेदकों से आवश्यक साक्ष्य शपथ-पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
9	इसके अलावा अन्य कोई विवाहों का अधिनियम हो तो उस अधिनियम में कौन-कौन से विवाह आते हैं एवं उनका विवाह पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जाना है या नहीं स्पष्ट करावे।	उक्त राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 की धारा 20 स्वतः स्पष्ट जिसमें उल्लेखित अधिनियमों के अतिरिक्त अन्य अधिनियमों में विवाह अनुष्ठापित होता है तो विवाह पंजीयक आवेदकों से आवश्यक साक्ष्य, शपथ-पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करेगा। इस संबंध में अग्रिम किसी भी प्रकार की जानकारी विधि विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

तदनुसार आपके कार्यालय से प्राप्त प्रकरण बिन्दुओं के सन्दर्भ में ऊपर वर्णित बिन्दुओं पर वांछित बिन्दुवार उत्तर सूचना सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,
(आर०सी० गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान,
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवाएँ, राजस्थान जयपुर (महापंजीयक विवाह)।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन-उप सचिव

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वि.पं./2013/ I/47779/2016 दिनांक:- 19.03.2016

परिपत्र

आमजन की सुविधा हेतु राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण के लिए राज्य में वेबपोर्टल 'पहचान' पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 21.03.2016 से प्रारम्भ की जा रही है। विवाह पंजीयन हेतु ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। ई-मित्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं विवाह का पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया ई-मित्र केन्द्र एवं रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा निम्नानुसार अपनाई जावेगी:-

ई-मित्र केन्द्र द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी कॉलम में चाही गई सूचनाएं अनिवार्य रूप से भरी जावेगी तथा आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे:-
 - (अ) पहचान एवं पते के दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति (केवल आवेदक की) संलग्न होनी चाहिए। पहचान दस्तावेज के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज हो सकता है:- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि जिनसे फोटो/पते की पहचान हो सके।
 - (ब) वर एवं वधू की संयुक्त फोटो ("5×3" साईज) अथवा वर व वधू की फोटो कैमरे से खींचकर।
2. ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक से आवेदन प्रपत्र में चाही गई सम्पूर्ण सूचनाएं अनिवार्य रूप से पूर्ति कराई जावेगी एवं वांछित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की जांच की जावेगी।
3. ई-मित्र संचालक को 'पहचान' वेबपोर्टल के माध्यम से 'ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र' भरें विकल्प पर क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् विवाह पंजीयन विकल्प पर क्लिक करना होगा। 'पहचान' पोर्टल पर "आवेदन प्रपत्र" खुलने पर ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई सम्पूर्ण सूचनाओं की ध्यानपूर्वक सही सही प्रविष्टि की जावेगी। ध्यान रहे ई-मित्र संचालक द्वारा सूचना प्रविष्टि करने में की गई गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। इससे बचने के लिए प्रविष्टि की गई सूचनाएं कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को पढवा दी जावे अथवा प्रिन्ट लेकर आवेदक के हस्ताक्षर करा लिये जावें।
4. ई-मित्र संचालक द्वारा पहचान दस्तावेज एवं वर-वधू की संयुक्त फोटो को पृथक-पृथक स्कैन कर 50 केबी से 100 केबी तक की जेपीईजी फाईल (JPEG file) में अपलोड किया जावेगा।
5. ई-मित्र के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने पर ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक से निम्नानुसार सेवा शुल्क एवं पंजीयन शुल्क लेकर रसीद दी जावेगी।

(अ) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाईन भरने एवं संलग्न पहचान / पते के दस्तावेज का राजकीय डाटाबेस से सत्यापन किये जाने की स्थिति में 15/- रुपये।

(ब) आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 20/- रुपये।

(स) विवाह सम्पन्न होने की तिथि के 30 दिन की अवधि में 10/- रुपये एवं 30 दिन पश्चात् 100/- रुपये पंजीयन शुल्क देय होगा।

6. सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदन प्रपत्र विवाह सम्पन्न होने वाले क्षेत्र के रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित किया जावेगा। अथवा ई-मित्र केन्द्र, वर-वधू विवाह पश्चात् जिस क्षेत्र में विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने के तत्काल कम से कम 30 दिन पूर्व से उस क्षेत्र में निवास कर रहे हों, तो उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित करेगा।

रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

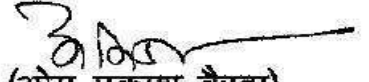
1. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को ई-मित्र संचालक द्वारा रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित करने पर रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र को अपने लॉगिन से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं दस्तावेजों की जांच पश्चात् पंजीकृत करेगा।
2. आवेदन पत्र की जांच उपरान्त सही पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में कमी होने पर कमियों का अंकन करते हुए, रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा तिथि निर्धारित कर, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिवस से अधिक नहीं होगी, आवेदनकर्ता (वर एवं वधू) को रजिस्ट्रार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने की सूचना मोबाईल पर ई-मित्र के द्वारा दी जावेगी। वर-वधू को निर्धारित दिनांक को सम्बन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

- ई-मित्र पर आवेदन किए गए प्रपत्र का प्रिन्टआउट एवं पावती रसीद
- वर एवं वधू प्रत्येक की एक-एक पासपोर्ट साईज फोटो
- वर व वधू की संयुक्त फोटो (5"X 3" साईज)
- वर व वधू की पहचान व पता का दस्तावेज
- वर व वधू की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- वर व वधू का अलग-अलग शपथ पत्र
- विवाह के साक्षी दो गवाहों के शपथ पत्र तथा पहचान एवं पते के दस्तावेज (एक वर पक्ष व एक वधू पक्ष हेतु)
- शादी का कार्ड (वर व वधू दोनों पक्ष का) यदि उपलब्ध हो

3. रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा वर एवं वधू दोनों के उपस्थित होने एवं मूल दस्तावेजों की पूर्ण जांच कर सन्तुष्टि के पश्चात् विवाह का पंजीयन किया जावेगा एवं निर्धारित प्रपत्र में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

- 4- यदि आवेदन पत्र में कोई कमी है तो इसकी उचित कारण सहित आपत्ति दर्ज करेगा एवं इसकी सूचना आवेदक को मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा दी जावेगी।
- 5- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में की गई आपत्ति का SMS प्राप्त होने पर सम्बन्धित ई-मित्र पर आवेदन पत्र में पाई गई आपत्ति/ कमी की पूर्ति की जावेगी। इसके पश्चात् उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से की जायें।


(ओम प्रकाश बैरवा)

महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वि.पं./2013/1/147779/2016

दिनांक: 19.03.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना, प्राद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, जिला.....
4. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-13) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम, जिला.....
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि राज्य के समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता (ई-मित्र) को परिपत्र की पालना हेतु निर्देशित करावें।
8. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी झालाना डूंगरी, जयपुर।
9. सिस्टम एनॉलिस्ट एवं संयुक्त निदेशक, सूचना, प्राद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला विवाह पंजीयन नोडल अधिकारी, उप निदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र सम्बन्धित विवाह पंजीयन अधिकारी को प्रेषित कर पालना सुनिश्चित करावें।


उप निदेशक (जीवनांक)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक :-एफ13/1/3/वि.पं/वीएस/डीईएस/2015/I/55017/2016 दिनांक:- 08/08/2016
जिला नोडल अधिकारी
(विवाह पंजीयन) एवं उप/सहायक निदेशक,
समस्त राजस्थान

विषय:- राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।

महोदय,

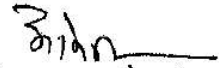
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य में अनुष्ठापित विवाहों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। आमजन को विवाह पंजीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु निम्न निर्णयों द्वारा विवाह पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करावे-

(i) वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम होने पर आवेदक के दस्तावेजों की पूर्ण जांच के पश्चात् पंजीयक की संतुष्टि पर विवाह का पंजीयन किया जा सकता है। परन्तु साथ ही विवाह पंजीयक को ऐसे पक्षकारों के माता पिता / संरक्षक एवं अन्य के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वांछित कार्यवाही करने हेतु जिला विवाह पंजीयन अधिकारी (जिला कलेक्टर) को सूचित किया जाना भी वांछनीय है।

(ii) विधवा / विधुर के विवाह पंजीकरण हेतु अनुष्ठापित हुए विवाह के जिस पक्ष की मृत्यु हो चुकी है उसके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा शपथ पत्र तथा विवाह सम्पन्न के सम्बन्ध में सम्पूर्ण साक्ष्य यथा- विवाह को अनुष्ठापित करवाये जाने वाले धार्मिक व्यक्ति या विवाह का कार्ड एवं स्वतंत्र गवाह के शपथ पत्रों के आधार पर विवाह का पंजीयन कर विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

उपरोक्त प्रक्रिया विवाह पंजीयन के नियमों के अस्तित्व में आने तक ही मान्य होगी।

भवदीय,



(ओम प्रकाश बैरवा)

महाराजिस्ट्रार (विवाह) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 13/1/3/वि.पं./वीएस/डीईएस/2015/1/55017/2016 दिनांक:-08-08-2016
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी..



निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-13) विभाग

कमांक प. (10) गृह-13/20

जयपुर, दिनांक:- 9.12.2016

**जिला कलक्टर,
सीकर।**

विषय:- राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत फर्जी हस्ताक्षरों से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के संबंध में मार्गदर्शन चाहने बाबत ।

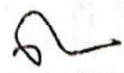
सन्दर्भ:-आपका पत्र कमांक: विधि/अनिवार्य विवाह पंजीयन / 2016/1228 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 एवं स्मरण पत्र कमांक 1458 दिनांक 6 दिसम्बर, 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के कम में निर्देशानुसार लेख है कि भारतीय थल सेना में कार्यरत श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ द्वारा की गई जांच के कम में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही करें :-

1. प्रकरण में दोषी पाए गए सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए ।
2. फर्जी शपथ पत्र एवं हस्ताक्षर कर विवाह पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जानी चाहिए ।
3. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाने के सम्बन्ध में प्रार्थी सक्षम सिविल न्यायालय में आवेदन कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है ।

भवदीय


% (महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-13) विभाग

क्रमांक: प. 6(19)गृह-13 / 2006 / पार्ट-सीकर

जयपुर, दिनांक: 17.03.2017

उप निदेशक (जीवनांक),
आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

विषय:- विवाह पंजीयन में विवाह दिनांक परिवर्तन करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1165809 / 2017 दिनांक 10.03.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में निवेदन है कि विधि विभाग की राय के अनुसार विवाह प्रमाण-पत्र में कोई लिपिकीय भूल रही हो वही सुधारी जा सकती है, अन्य कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं है।

भवदीया,

(सीमा कुमार)
शासन उपाय साधिव
17/3

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/245 दिनांक: 16/04/2018

जिला नोडल विवाह पंजीयन अधिकारी एवं

उप/सहायक निदेशक

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त

विषय:-विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-निदेशालय का पत्रांक 221 दिनांक 10.04.2018 के क्रम में।

महोदय,

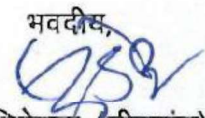
उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत लिये जाने वाले शपथ पत्रों के सम्बन्ध में गृह (ग्रुप-13) विभाग के पत्र दिनांक 22.03.2017 द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया था कि विधि विभाग की राय के अनुसार विवाह पंजीयन में शपथ पत्र पब्लिक नोटेरी से प्रमाणित एवं उन पर नियमानुसार नोटेरी टिकट लगाने अनिवार्य है।

उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.04.2018 द्वारा विधवा / विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में भिजवाये गये तीनों शपथ पत्रों को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य है। अतः बिन्दूवार शपथ पत्रों को निम्नानुसार पढा जावे:-

1. विवाह के मृतक पक्ष (वर/ वधू) की ओर से माता/पिता अथवा संरक्षक की ओर से दिये जाने वाला शपथ पत्र नोटेरी द्वारा सत्यापित।
2. शपथ पत्र विधवा / विधुर द्वारा पाई पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित
3. विवाह की पुष्टि हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्र अलग अलग पाई पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित

विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने आवेदन पत्र के साथ विवाह के मृतक पक्ष का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

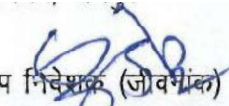
संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप निदेशक (जीवनांक)

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/246-248 दिनांक:-16/04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी एवं कलेक्टर, जिला..
2. निजी सचिव, गृहपरिचालन (विवाह पंजीयन) एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग योजना भवन, जयपुर।
3. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर निगम, जयपुर।

उप निदेशक (जीवनांक)


जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/ई-मेल आई.डी. jdvtal.des@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-13) विभाग

क्रमांक प. 6 (19) गृह-13/2006/पार्ट-1A

जयपुर, दिनांक: 01.08.2017

उप निदेशक (जीवनांक)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

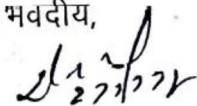
विषय:-विवाह पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

संदर्भ:-आपका एफ पत्र क्रमांक 13/1/वीएस/डीईएस/2013/I/70765/2017
दिनांक 19.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में विधि विभाग की राय के अनुसार राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 2009 की धारा 8 में निम्न प्रावधान है कि पक्षकार या जहाँ पक्षकार इक्कीस वर्ष के न हो वहाँ पक्षकारों के माता-पिता या यथास्थिति संरक्षक विवाह की अनुष्ठान की तारीख से तीस दिवस की कालवधि के भीतर-भीतर उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या दोनों पक्षकार या उनमें से कोई निवास करता है।

उक्त प्रावधान के अनुसार वधु के निवास स्थल पर भी पंजीयन कराया जा सकता है।

भवदीय,

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-13) विभाग

क्रमांक प. 6 (19) गृह-13/2006/पार्ट-सीकर

जयपुर, दिनांक: 22.03.2017

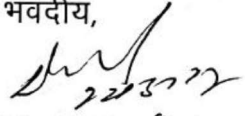
उप निदेशक (जीवनांक)
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

विषय:—विवाह पंजीयन में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र की अनिवार्यता के संबंध में।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक 1/66048 दिनांक 16.03.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विधि विभाग की राय के अनुसार विवाह पंजीयन में शपथ-पत्र पब्लिक नोटरी से प्रमाणित एवं उन पर नियमानुसार नोटरी टिकट लगाने अनिवार्य है।

भवदीय,

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/e-73473/171

दिनांक: 12.02.2018

परिपत्र

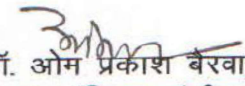
राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 की धारा 3 के अनुसार "राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा एवं अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पक्षकारों के माता-पिता या यथास्थिति, संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन पश्चात् नियमानुसार उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिससे क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या दोनो पक्षकार या उनमें से कोई निवास करता है।

यद्यपि धारा 3 विशेष रूप से राजस्थान में अनुष्ठापित होने वाले विवाहों के लिए है किन्तु अधिनियम की धारा 8 में यह भी प्रावधान किया गया है कि विवाह के पक्षकारों द्वारा विवाह पंजीयन हेतु उस रजिस्ट्रार को भी विवाह के लिए नियमानुसार ज्ञापन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में वर/वधु निवास करते हैं।

राज्य के आमजन को राज्य/देश से बाहर अनुष्ठापित किये गये विवाहों के पंजीकरण को अधिक सरल एवं जनसाधारण के लिए सुगम बनाये जाने तथा नव वर-वधु को विवाह पंजीयन के संदर्भ में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता क्षेत्र में अधिनियम की धारा 3 के साथ सपठित धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित विवाहों का पंजीकरण निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप सम्पादित करेगा:-

1. भारत के नागरिकों का राजस्थान राज्य में अनुष्ठापित विवाह
2. भारत के नागरिकों के बीच अन्य राज्यों में अथवा भारत के बाहर अनुष्ठापित विवाह, जिसमें कोई एक अथवा दोनो पक्ष राजस्थान का निवासी हो।

अतः राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन का कार्य सम्पादित करते हुए इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।


(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
महाराजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वी.पं/2017/e-73473/171

दिनांक: 12.02.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी (कलक्टर), जिला.....
3. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला.....
4. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला नोडल विवाह अधिकारी एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....
6. रक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:—एफ13/1/3/वि.प/वीएस/डीईएस/2018/152

दिनांक 09/04/2019

जिला विवाह पंजीयन अधिकारी एवं

क्लेक्टर,

जिला

विषय— सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने वाले विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में।

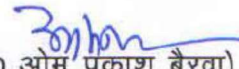
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 की धारा 3 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में अनुष्ठापित होने वाले प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य किया गया है। राज्य में विभिन्न समाजों एवं संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। ऐसे आयोजनों में होने वाले विवाहों का पंजीकरण सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार कार्यवाही करवाने का श्रम करावें

1. सामूहिक विवाह आयोजन की स्वीकृति संबंधित उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) द्वारा जारी की जाती है। कृपया उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित करवाने का श्रम करावें कि स्वीकृति की एक प्रति जिला नोडल अधिकारी (विवाह पंजीयन) एवं उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावें।
2. जिला नोडल अधिकारी (विवाह पंजीयन) एवं उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सामूहिक विवाह आयोजन की स्वीकृति की प्रति संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को उपलब्ध करवायेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने वाले विवाहों का रजिस्ट्रेशन कर प्रमाण पत्र जारी किये जावे।
3. रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को सामूहिक विवाह आयोजन की सूचना आयोजक संस्था अथवा समाज द्वारा भी दी जा सकती है।
4. रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) सामूहिक विवाह की सूचना प्राप्त होने अथवा संज्ञान में आने की स्थिति में आयोजक संस्था से सम्पर्क कर वैवाहिक जोड़ों के विवाह रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, वर वधु एवं गवाहों के शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु लिखित में सूचित करेगा।
5. राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण 2009 की धारा 8 में रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को ज्ञापन प्रस्तुत करने का कर्तव्य विवाह के पक्षकार / माता-पिता / संरक्षक का है, इसी के साथ अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार पूर्ण ज्ञापन प्राप्त होने पर विवाह का रजिस्ट्रीकरण कर उस व्यक्ति को, जिसने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। विवाह का प्रमाण पत्र जारी करेगा। चूकी सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किसी संस्था अथवा समाज द्वारा किया जाता है जो सम्मेलन में हुए विवाहों का संरक्षक है। अतः रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) संस्थान के माध्यम से प्रस्तुत विवाह आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों की पूर्ण जांच करेगा

6. दस्तावेजों की जाँच उपरान्त रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) सम्मेलन स्थल पर उपस्थित होकर वर एवं वधू की पहचान सुनिश्चित करेगा एवं विवाह रजिस्ट्रेशन हेतु अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण करेगा।
7. वर वधू के आयु प्रमाणीकरण हेतु जन्म प्रमाण पत्र, 10 वी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र, अथवा 8वी/5वी की अंकतालिका, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड या ड्राईविंग लाईसेंस जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, में से कोई भी एक दस्तावेज मान्य होगा।
8. विवाह के पक्षकारों की अनुपस्थिति में विवाह के साक्ष्य के रूप में विवाह पंजीकरण रजिस्टर में संस्थान के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर लिये जावेगे। संस्थान के अध्यक्ष / सचिव से शपथ पत्र लिया जावे कि संस्था सभी जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करवायेगी एवं समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी।
9. रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) नियमानुसार विवाह का पंजीकरण करेगा एवं संस्थान को विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करवायेगा।
10. किसी कारण से सामूहिक विवाह सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले विवाह के पक्षकार राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं।

भवदीय,



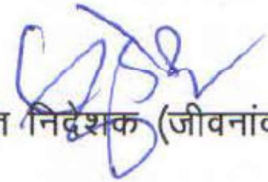
(डॉ० ओम प्रकाश बैरवा)

महा रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:—एफ13/1/3/वि.प./वीएस/डीईएस/2018/153-155 दिनांक:—09.04.2019

प्रतिलिपी:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला
2. जिला नोडल अधिकारी (विवाह पंजीयन) एवं उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला
3. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,



संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक :-एफ13/1/3/अ.अभि./वि.पं/वीएस/डीईएस/2018/175

दिनांक:- 01/05/2019

विवाह पंजीयन अधिकारी
नगर निगम,
जयपुर

विषय:- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र में पिता व माता का नाम गोदनामें के आधार पर
संशोधन करने के क्रम में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 457 दिनांक 29.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री सुरेश वर्मा एवं श्रीमती सुनीता वर्मा के पूर्व में जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र में माता-पिता के नाम में रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर नाम संशोधित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नाम संशोधित किए जाने से पूर्व विवाह प्रमाण पत्र में दर्ज पिता से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा मूल प्रमाण पत्र लेकर संशोधित प्रमाण पत्र जारी करावें।

भवदीय,

(डॉ. सुदेश कुमार)
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:—एफ -13/1/3/अ.अभि./वि.पं/वीएस/डीईएस/2018/158

दिनांक:—09.04.2019

जिला नोडल अधिकारी
(विवाह पंजीयन) एवं
उप/सहायक निदेशक
समस्त।

विषय:— राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत राज्य में अनुष्ठापित विवाहों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। आमजन को विवाह पंजीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु निम्न निर्णय द्वारा विवाह पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करावें।

विधवा/विधुर के अनुष्ठापित किये गये विवाह के पंजीकरण हेतु जिस पक्ष की मृत्यु हो चुकी है विवाह के साक्ष्य के लिये उसके माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा शपथ पत्र नहीं दिये जाने एवं विवाह के अन्य सभी साक्ष्य रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होने पर रजिस्ट्रार मृतक के माता पिता अथवा संरक्षक को विवाह के पंजीकरण के संबंध में 15 दिवस में शपथ पत्र देने एवं उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करेगा। रजिस्टर्ड नोटिस के पश्चात् भी यदि मृतक पक्ष के माता, पिता अथवा संरक्षक शपथ पत्र नहीं देते हैं अथवा/और उपस्थित नहीं होते हैं तो निम्न प्रक्रिया द्वारा विवाह पंजीयन करवाया जावे:—

“रजिस्ट्रार विवाह में उपस्थित अन्य चार प्रतिष्ठित गवाहों के शपथ पत्र एवं बयान पश्चात् सम्पूर्ण तथ्यों की जाँच करेगा एवं स्वयं की संतुष्टि उपरांत विवाह के मृतक पक्ष के माता पिता/संरक्षक की उपस्थिति की छूट देकर नियमानुसार विवाह का पंजीकरण करेगा एवं पंजीकरण रजिस्टर में संबंधित गवाहों के हस्ताक्षर भी लेगा”।

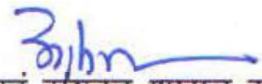

(डॉ० ओम प्रकाश बैरवा)
महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:—एफ -13/1/3/अ.अभि./वि.पं/वीएस/डीईएस/2018/159-160

दिनांक:—09.04.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला.....।
2. जिला कलक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी.....।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक :-एफ13/1/3/वि.पं/वीएस/डीईएस/2020/640 दिनांक:- 30/12/2020

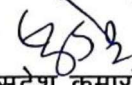
विवाह पंजीयन अधिकारी
नगर निगम,
ग्रेटर जयपुर

विषय:- विवाह पंजीयन के क्रम में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 437 दिनांक 29.12.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा हीना व साजन नेगी के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

प्रकरण में निर्देशानुसार वर-वधू की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वाटस ऐप कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर विवाह पंजीयन सम्बन्धी अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

(डॉ.सुदेश कुमार)
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)



राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक: एफ13(3)/विवाह/वीएस/डीईएस/2022/1015

दिनांक 07-11-2024

जिला विवाह पंजीयन अधिकारी एवं,
जिला कलेक्टर, समस्त ।

विषय: विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विभिन्न जिलों में निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में रजिस्टर्ड की गई विवाह पंजीयन के रिकार्ड की जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि रजिस्टर्ड विवाह पंजीयन का रिकार्ड सामान्यतः व्यवस्थित रूप से संधारित नहीं किया जा रहा है यथा विवाह पंजीयन रजिस्टर में प्रविष्टिया अपूर्ण होना, रिकार्ड में पंजीयन से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना अथवा अपूर्ण होना, पंजीयन रजिस्टर में वर-वधू के संयुक्त फोटो के साथ साथ वर-वधू के अँगूठा निशान / हस्ताक्षर भी नहीं होना आदि कमियाँ पाई गई।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में सभी रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को विवाह पंजीयन का पृथक रजिस्टर का व्यवस्थित रूप से संधारण, विवाह पंजीयन से संबन्धित समस्त दस्तावेज का रिकार्ड, विवाह पंजीयन हेतु वर-वधू की उपस्थिति, वर-वधू की संयुक्त फोटो का रजिस्टर में चस्पा करने तथा वर-वधू के अँगूठा निशान / हस्ताक्षर लेने सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का श्रम करावें।

भवदीय,

(विनेश सिंघवी)

महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13(3)/विवाह/वीएस/डीईएस/2022/1015

दिनांक 07-11-2024

प्रतिलिपि:-

1. जिला नोडल अधिकारी (वि.प.) एवं संयुक्त/उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/
ई-मेल आई.डी. jdvtal.des@rajasthan.gov.in

Document certified by VINESH
SINGHVI <vineshsinghvi@gmail.com>.

Digitally Signed by Vinesh Singhvi
Designation: Director and Joint
Secretary
Date :06-11-2024 06:40:10



Toll free No. - 1800 180 6785

Website - <https://pehchan.rajasthan.gov.in>